Title: Discussion regarding National Housing Policy. (Not concluded)

15.54 Hrs

MR. CHAIRMAN: The House will now take up item no. 27 - the Resolution on National Housing Policy by Dr. Laxminarayan Pandey. Before we take up the Resolution for discussion, we have to fix time for discussion. Shall we fix two hours?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Dr. Laxminarayan Pandey.

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सभी को प्रभावित करती है। भारत जैसे विशाल देश में जहां की जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे पचास प्रतिशत से भी ज्यादा हो और उसके बाद भी उसकी बढ़ती हुई आबादी निरन्दर इस दबाव को बढ़ाए जा रही हो, ऐसी ही कुछ मूलभूत समस्याओं में आवास भी ऐसी समस्या है जिसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। आवास ऐसी समस्या है जिसके बारे में सभी का चिंतित होना आवश्यक है।

15.55 hrs. (Shri Beni Prasad Verma in the Chair)

करोड़ो लोग इस आवासीय सुविधाओं से वंचित हैं। जिसमें पास आवासीय सुविधायें हैं, वे भी ठीक से नहीं हैं, फिर चाहे वह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। दोनों ही क्षेत्रों में यह समस्या विद्यमान है। इस बारे में यद्यपि समय-समय पर विचार हुआ और नीति निर्धारण की दिशा में कुछ कार्यक्रम भी हाथ में लिए गए। एक राष्ट्रीय नीति के निर्धारण की बात भी हुई और सदन में उस रूप में प्रस्ताव भी आए। प्रस्ताव पारित भी हुए, लेकिन उस प्रकार से उनको क्रियान्वित नहीं किया गया, जिस प्रकार से होना चाहिए था। इसका परिणाम यह हुआ कि वे लोग जो ठीक से अपना जीवन-यापन करना चाहते हैं, जीवन बिताना चाहते हैं, उनको खुले आकाश के नीचे अपना जीवन बिताना पड़ रहा है या बड़े महानगरों के अन्दर ओवर-ब्रिजेज के नीचे अपनी जिन्दगी बिताते हैं या बड़े-बड़े शहरों में झुग्गी-झौंपड़ियों में अपना जीवन बिता रहे हैं। एक तरफ तो ये झुग्गी-झौंपड़ियां हैं और दूसरी तरफ बहते गन्दे नाले, उनमें पलते हुए कीड़े-मकौड़े और उनके साथ रहते करोड़ों की संख्या में भारत के भाग्य-विधाता, जिनमें नन्हे-मुन्ने बच्चे भी हैं, वे अपना जीवन बीता रहे हैं।

जहां एक तरफ हम रोटी की समस्या के बारे में चर्चा करते हैं, रोजी की समस्या के बारे में चर्चा करते हैं, वहीं मकानों की समस्या के बारे में निश्चित रूप से चिन्ता किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, १९९२ में एक राष्ट्रीय आवास नीति बनाए जाने की बात आई और उस समय संसद में विचार हुआ तथा १९९४ में उसको स्वीकृति दे दी गई, लेकिन आगे उसके बारे में पंचवर्षीय योजनाओं में राशि आवंटित की जानी चाहिए थी और योजना आयोग द्वारा इस बारे में विशेष लक्षय निर्धारित करके राशि दी जानी चाहिए, उसके द्वारा ठीक से चिन्ता नहीं की गई। आज परिणाम यह हुआ है कि करोड़ों की तादाद में लोग बेघर हैं और अपना जीवन जहां-तहां करने के लिए मजबूर हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि एक राष्ट्र संघ व्दारा डिकलरेशन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सन् २००२ तक हम ऐसी व्यवस्था करें, जिसमें प्रत्येक पुरुष को शैलटर मिल सके, एक छाया मिल सके और एक आवास मिल सके। लेकिन उस व्यवस्था में जिस प्रकार की गति आनी चाहिए थी, वह गति नहीं आ पाई है। इस योजना के द्वारा मकान बनाने की काफी चर्चा हुई और इंदिरा आवास योजना के द्वारा भी मकान बनाने की योजना पर चर्चा हुई। आवास बनाने की जो विभिन्न एजेंसिया हैं, फिर चाहे वह हुडको हो या प्राइवेट एजेंसियां हों, उनके द्वारा जो प्रयत्न किए जाने चाहिए थे, वे प्रयत्न भी सफल नहीं हुए।

इसी प्रकार बीस सूत्री कार्यक्रम के द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया और कुछ मकान पांच वर्षों में, कुछ मकान दस वर्षों में तथा कुछ मकान बीस वर्षों में भी पूरे नहीं हुए तथा कुछ तो बनने के बाद धराशाही हो गए। इसका नतीजा यह हुआ कि आवास की आवश्यकता यथावत बनी रही तथा आदमी आवासहीन बना हुआ है। इंदिरा आवास योजना के द्वारा भी मकानों को बनाने के बारे में कुछ पहल की गई थी और जो प्रक्रिया हाथ में ली गई, उस प्र ाक्रिया को संतोष प्रक्रिया ही कहा जा सकता है, दोषमुक्त प्रक्रिया नहीं।

16.00 hrs.

इस रूप में आज हम इससे काफी प्रभावित हैं, इस कमी के बारे में काफी चिन्तित हैं। यद्यपि हमारी सरकार ने इस बारे में एक नीतिगत निर्णय लिया है और नीतिगत निर्णय लेते हुए एक आवास नीति बनाने की बात कही है और अपने राष्ट्रीय एजेंडा के अंदर कहा है कि हम एक लक्षय निर्धारित करेंगे, वह लक्षय होगा'दलितों को और वंचितों को

प्राथमिकता के आधार पर मकान बनाने का, प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में मकान बना कर हम आवश्यकता की पूर्ति करेंगे,' लेकिन इस दिशा में क्या नीति होगी, क्या विधि होगी, प्रक्रिया होगी, इस बारे में कुछ भी स्पष्टतः नहीं कहा गया है। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में सरकार स्पष्ट रूप से बताए। मैं राष्ट्रीय एजेंडा में से उद्धृत कर रहा हूं-

‘ वास मानव की बुनियादी आवश्यकता है जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा त

करने की जरूरत है। अतः हम राज्य सरकारों से परामर्श कर एक राष्ट्रीय आवास और निवास नीति बनाएंगे, जिसका उद्देश्य सभी को आवास प्र ादान करना होगा। इस लक्षय की सिद्धि के लिए हम प्रति वर्ष २० लाख अतिरिक्त आवास ईकाइयों का निर्माण करेंगे, अन्य कार्यक्रमों की भांति इसमें भी गरीबों और वंचितों को लाभ देने पर बल दिया जाएगा।‘

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, यद्यपि इसके बारे में नीतिगत निर्णय हुआ है, लेकिन नीति कब बनेगी। इस बारे में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए क्या कोई कॉम्प्रीहेंसिव बिल, समेकित विधेयक लाने का प्रयास करेंगे, लाएंगे, जिससे कि एक निश्चित समयावधि में हम काम को पूरा कर सकें और इस कठिनाई से मुक्ति पा सकें। प्राइवेट एजेंसियां भी इस मामले में कुछ काम कर रही हैं लेकिन वे मुनाफे के आधार पर काम कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं और इसीलिए यह कहावत बनती जा रही है- ‘ कि एक तरफ भूमाफियाओं का जाल है और दूसरी तरफ इसके साथ लगे दलालो का जाल है।‘ यह भूमाफियाओं का जाल जो बढ़ता जा रहा है, उसमें हर प्रकार के लोग हैं। उसमें मकान बनाने वाले भी हैं। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से उद्धृत कर रहा हूं, जो २६ जनवरी, १९९८ को प्रकाशित हुआ जिसमें बताया गया है कि प्राइवेट एजेंसियां भी असफल रहीं है-

"The Haryana model of involving the private sector in the housing industry has not yielded the expected results, at least in the pilot phase launched with much fanfare in Gurgaon in the early 1980s.

Successive governments have, over the years, enacted laws and simplified procedures. Powers have been delegated to the enforcement agencies, including the police, to nab land-grabbers and check mushrooming unauthorised colonies. The law makes it incumbent on private developers to earmark at least 10 per cent of the total plotted area for developed sites to be allotted, at affordable rates, to the homeless among the economically weaker sections."

मैं निवेदन कर रहा था कि इस बार भी प्राइवेट एजेंसियां असफल रही हैं, उनका कोई बड़ा योगदान नहीं रहा है, केवल लाभ की बात थी। आवास निर्माण परियोजना के संबंध में राजस्थान ने विशेष कार्य किया है । राजस्थान पत्रिका में दिया हुआ है, जो २४ जनवरी को प्रकाशित हुआ है-

‘ राजस्थान आवासन मंडल ने अपनी आवास निर्माण परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरी कराने और अवैध निर्माण व अतिक्रमण रोकने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ गठित करने का निर्णय किया है। यह सतर्कता प्रकोष्ठ मंडल के आवास निर्धारित अवधि में बने या नहीं, इस बारे में वि स्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, मंडल अधिनियम में सतर्कता प्रकोष्ठ का प्रावधान नहीं होने के कारण प्रकोष्ठ का गठन आवास निर्माण परियोजना पर निगरानी करने के नाम से किया जाएगा तथा उसे अवैध निर्माण व अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी भी सौपने का विचार हुआ।‘

इसी प्रकार अन्य राज्य सरकारों ने भी कुछ निर्णय लिया किन्तु वे राज्यो सरकारें भी उन निर्णयों का पालन करवाने में असफल रहीं। चेम्बर ऑफ कॉमर्स व्दारा आ वासीय कठिनाइयों पर गहरी चिंता जताई है।

महोदय, मेरा निवेदन है कि आज जो स्थिति बनी हुई है और हम जिस हालत में रह रहे हैं, जैसे कि मैंने निवेदन किया, आज जो मकानों की आवश्यकता है, मैंने कहा कि करोड़ों की तादाद में मकानों की आवश्यकता है, लगभग ३५०-४०० करोड़ मकानों की आवश्यकता १९९२-९३ की स्थिति के अनुसार थी, यदि इसी प्रकार स्थिति रही तो सन् २००२ तक जो स्थिति बनेगी वह लक्षय से काफी आगे होगी और उस रूप में हमारे लिए एक चिन्ताजनक स्थिति बन जाएगी। इस हेतु नेशनल हाउसिंग बैंक,जीवन बीमा,अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट बैक भी पूरी मदद करें ताकि समस्या का हल हो।

श्जैसा मैंने कहा कि विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो मकान बनाने की योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं उनसे कुछ राज्य थोड़े बहुत लाभान्वित हुए हैं। लेकिन जिन राज्यों की आवश्यकता बहुत ज्यादा थी उन राज्यों को बहुत अधिक और अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका है। वहां पर अभी भी मकानों की समस्या बनी हुई है। मैं उन राज्यों के बारे में निवेदन कर रहा था जिनमें आज भी लोग अत्यंत संकटपूर्ण स्थिति में हैं। ये आवास योजनाएं फिर चाहे हुडको द्वारा बनाई गयी हों, प्राइवेट एजेंसीज द्वारा बनाई गई हों, राज्य सरकार के राज्य गृह निर्माण मंडलों द्वारा बनाई गयी हों या अन्य किसी एजेंसी के द्वारा बनाई गयी हों, उन सब के द्वारा की जा रही कार्यवाही के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गांवों में भी आवास के लिए उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। लोगों को वहां भी अ पना जीवन-यापन कठिनाई से करना पड़ रहा है। हमारे एन आर आई भी इस बारे में मदद करना चाहते है उनसे भी मदद लें ।

इस दिशा में मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। जितनी उनकी आवश्यकता है उतने आवास नहीं हैं। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, मंदसौर, जबलपुर या रतलाम जैसे नगरों में जहां की आबादी बढ़ती जा रही है वहां पर झुग्गी-झोंपड़ियों की संख्या भी निरंतर बढ़ती चली जा रही है। मैं पिछले दिनों रीवा नगर गया था। वहां बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में बहने वाले मकानों में सबसे ज्यादा संख्या झुग्गी-झोंपड़ियों की थी। वहां लोग मजबूरी में झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं। मैं समझता हूं कि आवास समस्या हमारी और केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी है जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि अभी एक राष्ट्रीय आवास और निर्माण नीति बनाई जाए, जिसके तहत एक समयावधि में यह संकल्प लिया जाए कि इतने समय में इतने मकान निश्चित रूप से बनाए जाएंगे जिससे हम दलितों और वंचितों को जिनको अब तक आवास उपलब्ध नहीं है आवास दिला पाएंगे।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा कुछ मकान बनाए गये और एक लागत मूल्य तय किया गया, लेकिन दलित और वंचित उस मूल्य को देने के लिए भी समर्थ नहीं होते हैं। मैंने कुछ उन स्थानों को देखा हैं जहां मकान बनकर तैयार खड़े थे लेकिन चूंकि मूल्य का भुगतान करने में वे दलित और वंचित असमर्थ थे, अतः मकान खाली पड़े रहे और पांच बरस बाद धराशायी हो गये, या फिर उनका सामान लोग उठाकर ले गये। इस तरह से जो कार्य किया जा रहा है, वह उचित नहीं है। जो हुडको द्वारा राज्यवार स्वीकृत योजनाएं हैं उनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जैसा मैंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा और भी जो राज्य हैं उनके बारे में चिंता जताई, वह चिंता नहीं की गयी है। इस योजना के बारे में जो युद्ध-स्तर पर ठीक ढंग से विचार किया जाना चाहिए, वह विचार नहीं किया जा रहा है। आवास हेतु सस्ते दर पर ऋण व जमीन उपलब्ध हो।

मैं चाहूंगा कि जो प्रस्ताव मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं उस प्रस्ताव के बारे में गंभीरता से विचार करें। मैं माननीय सदस्यों और सदन से अनुरोध करूंगा कि इसका समर्थन करते हुए इसको अपनी सहमति प्रदान करें, ताकि जो प्राथमिक आवश्यकता है उस प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में हमारा जो उत्तरदायित्व है, जवाबदारी है, उसको हम पूरा कर सकें। केन्द्र सरकार की तरफ से हमें एक संदेश मिले कि केन्द्र सरकार भी उतनी ही चिंतित है जितनी इस बारे में चिता किये जाने की आवश्यकता है। कई एजेंसीज है कई निर्माण व सलाह देने वाली संस्थाए व कई अन्य संगठन हऐ सब मिलकर इस कठिनाई को हल करने की दिशा में प्र ायास करें ।

नवभारत टाइम्स में दो दिन पहले आवास योजना के बारे में जो प्रकाशित हुआ है उसको मैं बताना चाहूंगा। मेरे अनुमान के अनुसार तो करीब साढ़े चार करोड़ मकान बनाये जाने चाहिए, लेकिन उनके अनुसार तीन करोड़ मकानों की आवश्यकता है। मौजूदा आवास-निर्माण कार्यक्रमों के अलावा हर साल २० लाख मकानों की आवश्यकता पड़ेगी। इस लक्षय को प्राप्त करने के लिए शहरी मामलों के मंत्रालय ने आवास के लिए नगर विकास से सक्रिय सहयोग लेने का फैसला किया है। मैं इसे उद्धृत करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि ये सब महसूस कर रहे हैं कि यह एक गंभीर चुनौती भरी आवश्यकता है। इस आवास-निर्माण योजना को युद्ध-स्तर पर नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से आगे चलकर यह संकट और गहराएगा। आज विज्ञान का युग है इसमे नई तकनीक लेकर मकानों का निर्माण किया जाए

जैसा मैंने कहा वह भले ही यूनाइटेड नेशन्स का डिक्लेयरेशन हो कि हम २००२ तक सब को शैल्टर दे देंगे। ऐसे में वे शैल्टरविहीन ही बने रहेंगे। इस पेपर के अंत में कहा गया है :

'यदि आवास निर्माण योजनाओं को युद्ध स्तर पर नहीं लिया गया तो जनसंख्या की रफ्तार के सामने सभी लक्षय रह जाएंगे। तीन करोड़ मकानों की कमी अगले पांच सालों के दौरान दुगनी से भी ज्यादा हो सकती है।'

जैसा मैंने चिन्ता व्यक्त की है कि अगले सालों में आवासीय आवश्यकता की यह संख्या लगभग एक हजार करोड़ तक पहुंच सकती है। इस पर चिन्ता किए जाने की आवश्यकता है।

... (व्यवधान)

इनके हिसाब से छः करोड़ होगी लेकिन मेरे अनुमान के हिसाब से यह संख्या एक हजार करोड़ तक पहुंच सकती है। इस दिशा में सरकार एक निश्चित नीति और कार्यक्रम बनाए। अगर एक काम्प्रीहैंसिव बिल लाना पड़े तो वह भी लेकर आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

'इस सभा का मत है कि सरकार आगामी पांच वर्षों में आवास की समस्या को काफी हद तक हल करने की दृष्टि से मुख्यतः निर्धनों और वंचितों के लाभार्थ प्र ाथमिकता के आधार पर एक राष्ट्रीय आवास नीति बनाए।'

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"This House is of the opinion that Government should formulate a National Housing Policy on priority basis primarily for the benefit of poor and deprived persons with a view to solving the housing problem to a great extent in the next five years."

">SHRI PRITHVIRAJ D. CHAVAN (KARAD): Mr. Chairman, Sir, I commend Dr. Laxminarayan Pandey for having brought this Resolution before the House. Housing, next only to food and clothing. It is a prime necessity of life. We have not been successful in meeting the basic requirements of food and clothing but we are very short of meeting even the barest minimum needs in housing. Housing being a State subject, the State intervention uptil now is limited to policy directives. Central intervention is limited to giving policy directives to State Governments in various Five Year Plans. There was no comprehensive national policy. But it was the U.N. Declaration of November, 1998 of the Global Shelter Strategy 2001 that called on all the national governments to bring out and formulate a National Housing Policy. This House debated the National Housing Policy which was formulated and brought before us in May, 1992.

The BJP Government, in its National Agenda of Governance, talks of a new national policy called National Housing and Habitat Policy and seeks to add two million additional houses every year. Whether it is the 1992 National Housing Policy or another national policy which BJP Government is going to bring, for the first time the nation has started thinking in terms of a comprehensive national policy. The 1992 policy, although may appear utopian, at least shows the direction to tackle what, in my view, is the most difficult problem facing the nation, the problem of houselessness, the problem of shelter inadequacy.

Before we get into details of what needs to be done, let us look at the size of the problem. There are problems of growing urbanisation, slums, rural housing, tenancy rights and ownership rights. It is clear that the country is getting urbanised rapidly. The urban population increased from 25.7 per cent in 1991 and is expected to go up to 31 per cent in 2001.

The decadal growth will be about 41 per cent. This urbanisation is leading to slums. It is estimated that in 1991 about 4.67 crore people - about 21.4 per cent - of the urban population lived in the slums. This population is likely to go up to 6.4 crore in the year 2001.

There are various estimates about housing shortage and the stock of housing available. The 1991 census says that about 162 million households lived in 131 million houses leading to a housing shortage, in 1991, of about 31 million units. The Lok Sabha question of 6th August, 1997 gives a housing shortage of 21.23 million units. But if you go to yet another estimate, the Working Group of the Planning Commission it,talks of a housing shortage anywhere between 41 million houses and 64 million houses by the year 2001. We do not seem to be agreeing on the exact number of new houses required; the houses to be upgraded and the houses to be repaired. But one thing is quite clear that we are talking about at least 30 to 40 million new houses being built in a very short period of time - five years, as Shri Pandey has said to completely eradicate or eliminate houselessness. It is a gigantic problem.

The National Housing Policy brought out in May 1992 and debated in this House in 1994 at least has enunciated some broad objectives and some very specific goals. The central features of the 1992 Policy are: adequacy of land supply and adequacy of finance and infrastructure. It seeks to achieve it by involving the private sector in a great way and also by seeking to eliminate the legal restraints. The Policy seeks greater involvement of the private sector; increased inflow of housing finance and changing the role of the Government from that of a builder to that of a facilitator...(Interruptions)

SHRI A.C. JOS (MUKUNDAPURAM): Sir, nobody is there from the Government side.

SHRI PRITHVIRAJ D. CHAVAN : There is the Housing Minister. The Housing Minister is sitting there.

MR. CHAIRMAN : The Housing Minister is sitting there.

... (Interruptions)

SHRI PRITHVIRAJ D. CHAVAN : The Urban Development Minister is there. I am sure, he is listening to what I am saying.

SHRI A.C. JOS : He is not visible to me...(Interruptions)

SHRI VAIKO (SIVAKASI): He is very much sitting in the front row.

SHRI PRITHVIRAJ D. CHAVAN : The Housing Policy seeks, more than anything else, to redress the legal contraints that are coming in the way of a large tract of service land, rental housing and basic services coming into the market. But I have one problem with the Policy. The 1992 Policy seeks to define housing. The 1992 Policy has sought to lay down some norms about housing. It talks about a 20 square metre built-up area in a 85 square metre plot for rural housing and for urban housing, a 25 square metre plot. But it does not talk of housing in a broader sense.

Here, I would like to draw the attention of the Government to the 1992 World Health Organisation Report on Health and Environment wherein the World Health Organisation has sought to define housing in a much broader context of essential basic services like drinking water; facilities of disposal of human wastes; quality of housing sites and the effects due to pollution including that caused by the cooking fuels. As we know,, the chulhas are in vogue in the Indian homes. All these need to be brought under the definition of housing. If the Government is proposing to bring out a new Policy, I would request the Government to look at the definition part of it once again.

I would like to spend some time on the legal constraints that are facing housing. Government has plans to repeal the Urban Land Ceiling and Regulation Act; modify the Rent Control Act; the Transfer of Property Act, the Land Acquisition Act and many other Acts which are coming in the way of development. Most of these Acts have very good intentions.

These could not be effectively implemented primarily because housing being the State subject, most of these laws had to be dealt with by various State Governments. I think, the model rent legislation has been circulated. This House had passed the Delhi Rent Control Act but it could not be notified for a very long time. After it was notified, this Government is again seeking to change it. If you want to overcome this serious problem, the only thing required is the political will. Land acquisition proceedings need to be speeded up.

When you talk of additional finances, new secondary mortgage need to be created. For closure law needs to be legislated. There is a need to revise the a master plan standards, modify building standards and the by-laws. There is a model Apartment Ownership Bill, and a Bill to regulate builders and developers. This Bill is being circulated. Another important initiative is the rent control tribunals. There are many things which could be done through legal means. The Minister who is a legal luminary himself is handling the portfolio of Urban Development and, I am sure, he will bring all his legal acumen to bear on the subject to bring in some legal innovations in all these laws with respect to housing.

Finance, both in formal and in informal sense, remains ultimately the most important and crucial constraint for housing because in India, a very large number of housing is the self-help housing, which means, building by people themselves in the informal sector. The gross fixed capital as a ratio of GDP has been decreasing constantly. It decreased from 3.2 per cent in 1980-81 to 2.6 per cent in 1991-92. As per the Ninth Plan Working Group, the estimate for housing has been of the order of Rs.1,21,000 crore for building 16.8 million houses. This includes Rs.34,000 crore of formal content and Rs.87,000 crore of informal content.

The long pending demand of construction of housing and building activity as an industry has been met. Hopefully, more credit will flow to this sector. The previous Government also had tried to increase the Government spending. The Government spending for housing was increased from Rs. 2,424 crore in the Seventh Plan to Rs. 6,377 crore in the Eighth Plan. But that is not enough. Operations of the National Housing Bank were increased; capital of the HUDCO was increased. As I said earlier, there is a need to involve private sector funds in a greater way. To start with, we can involve 17 million provident fund payers into the housing activity. Some initial beginning has already been made.

The Indira Awas Yojana has made a signal contribution to rural housing. We have built over three million houses from 1985 to 1995. This programme of empowering the poorest of the poor, the Scheduled Castes and the tribals by giving them ownership rights of land and access to own houses needs to be further strengthened. It has to be brought-forth on a firmer footing.

I am sure that the Government will strengthen this very important programme of rural housing.

Now, I come to the problems of slums. As I have said in the beginning, the slum population is increasing day by day. The Government needs to state clearly as to what they want to do about the problems of increasing slums. The slum culture with slum lords in Delhi, Bombay and in large metropolitan towns is becoming a critical problem.

Sir, I would not take much time. I will conclude by saying that the seriousness of the problem of shortage of housing, houselessness and shelter inadequacy has given rise to the demand that the Right to Shelter should be made a Fundamental Right in the Constitution.

Sir, this problem needs highest priority. The spirit with which this Resolution has been brought in this House and the discussion on the National Housing Policy that the House had in 1994, need to be taken into account. Whether it is the National Housing Policy of 1994 or the proposed new policy of the BJP-led Government, this would remain only on papers unless the political will is gathered and a serious and sincere attempt is made to evolve a consensus.

I thank Dr. Laxminarayan Pandey for having brought this Resolution before this House and request the hon. Minister to address this serious problem in the spirit with which the Resolution has been moved.

">

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, मैं आदरणीय डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय जी के प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं इस आग्रह के साथ कि डा. पाण्डेय अंत तक अपने प्रस्ताव पर डटे रहेंगे और सरकार के दबाव में किसी असत्य आश्वासन पर, अपने इस महत्वपूर्ण और जनहितकारी प्रस्ताव को वापस नहीं लेंगे।

किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य की यह खास खूबी होती है कि जो बंधी हुई आमदनी के लोग हैं उनको बंधी हुई कीमत पर, जो कम आमदनी के लोग हैं, उनको सस्ती कीमत पर और जो लोग बिना आमदनी के हैं उनको बिना किसी कीमत के आवास मुहैया करें। मैं आंकड़ों में नहीं जाता। बहुत सारे सर्वे इस देश में हुए हैं और उन सभी के अनुसार लगभग ३० से ३५ करोड़ लोग भारत में बिना घर और परिवार के रह रहे हैं। मोटेतौर पर हम गांव और शहरों में इस बात को देख सकते हैं। गांवों में रोजगार का अभाव हो रहा है। गांव से गरीब आदमी रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर भाग रहे हैं। बड़े शहरों में सफाई के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर उनके साथ दुर्वयवहार हो रहा है। वह भारत जैसे देश के लिए एक चिन्ता का विषय है।

सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि १९७४ में एक क्रान्तिकारी कानून इस देश में बना था जिसके जरिए इस बात का संकल्प किया गया था कि भारत के बड़े बिल्डर्स, जो सस्ती कीमत पर लोगों की बड़ी-बड़ी जमीनें खरीदकर ऊंची दरों पर घर देने का काम कर रहे हैं, इसे रोकने के लिए भारत सरकार अ पनी तरफ से शहरी हदबन्दी कानून लागू करे ताकि गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर मकान मुहैया कराए जा सकें। इसी मंशा से इस कानून को इस संसद ने १९७४ में पास किया था, लेकिन पिछले २५ वर्षों की वर्किंग ने हमें इस बात के लिए मजबूर किया कि उस कानून को खत्म किया जाए। पूर्ववर्ती सरकार ने उस कानून को खत्म करने का निर्णय लिया और नई सरकार उस पर अमल करने का काम कर रही है। जरूरत इस बात की थी कि इस कानून पर सही ढंग से अमल होता, लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग थे, बड़े लोग थे, शहरों में रहने वाले बड़े राजनेता थे,

उन लोगों ने भू माफिया से मिलकर पवित्र मंशा से बने हुए कानून को खत्म किया। नतीजा यह हुआ कि भूमि बड़े लोगों के हाथ में शहरों में रही और गरीबों को जो मकान देने का संकल्प था, जो फैसला था, उस फैसले को आप कार्यान्वित नहीं कर सके। मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार एक खास नीति की घोषणा करे। १९९२ में इस संसद में एक आवास नीति को घोषित किया था। उस पर एक लम्बी बहस हुई थी लेकिन उस नीति को पेश करने वाले जो मंत्री थे, आज वह अदालत के दरवाजे पर खड़े हैं क्योंकि उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात हैं कि उन्होंने लोगों को, सरकारी अधिकारियों को खास तौर से अपने स्टाफ के लोगों को सरकारी क्वार्टर्स के आवंटन में बहुत सारी गड़बड़ियां की हैं। मेरी निजी जानकारी में उन लोगों के पास फ्लैट हो गये लेकिन जिस विभाग के वह मंत्री थे, जिनकी जिम्मेवारी थी कि गरीब लोगों को इस तरह के आवास मुहैया करायें, लेकिन उस काम में वह नाकामयाब रहे, उस काम को वह नहीं कर सके। इस मंशा से अलग-अलग जगहों पर विकास प्राधिकरणों का गठन हुआ। सरकार ने इस मंशा से विकास प्राधिकरण का गठन किया लेकिन वह सभी विकास प्र ाधिकरण के अधिकारियों के अपने इंतजाम के अड्डे हो गये । यहीं बगल में एक बहुत बड़ा प्राधिकरण है जिसको हम नोएडा के नाम से जानते हैं। आज जमीन का आवंटन, लोगों के घर के आबंटन का मामला अदालत में विचाराधीन है और उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस बात पर प्रतिबंध लगा दिया है कि आबंटन की पूरी समीक्षा उनकी ओर से होगी। दिल्ली शहर में रहने वाले जो बड़े राजनेता हैं, बड़े अफसर हैं, उन्होंने वहां जमीन ले ली, उन्होंने वहां सस्ती कीमत पर घर ले लिये, लेकिन गरीबों को एक भी घर नहीं मिला। बहुत से विकास प्राधिकरणों में इस बात की घोषणा की गई थी जो समाज के दलित लोग हैं उनकों अपनी आबादी के हिसाब से सभी विकास प्राधिकरणों में आबंटन में आरक्षण मिलेगा। लेकिन उस नीति का पालन किसी भी विकास प्राधिकरण ने अपने-अपने शहर में नहीं किया। यदि आप गांव की ओर जाएं तो आज भी जो दलित बस्तियां है उनकी कितनी बुरी हालत हैं उनके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुझे ठीक से याद है जब पाटील साहब यहां पर आपके आसन पर, अध्यक्ष के आसन पर विराजमान थे, उस समय अंतर्राष्ट्रीय सांसद सम्मेलन हुआ और एक विशेष रेलगाड़ी आगरा में पर्यटन के लिए दुनिया भर से आये हुए सांसदों को ताजमहल दिखाने के लिए गई। उसमें सौभाग्य से मैं भी बैठा था। चूंकि वह ट्रेन सुबह रवाना हुई। हमने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ लोटा लिये गांव के लोग सड़क और रेल की पटरी के किनारे बैठे थे। दुनिया भर के जो सांसद आये थे वे बहुत उत्सुकता से उनको देख रहे थे। आस्ट्रेलिया के एक सांसद ने मुझसे पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने शर्म से कहा कि यह रेलवे लाइन के किनारे योगाभ्यास कर रहे हैं। हमारे देश में इतनी बुरी हालत है कि गांव में हमारी ग्रामीण महिलाएं, रास्ते में लोटा लेकर बैठी होती हैं, उनका पेट साफ नहीं होता, उनको अपना बदन साफ करने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में ऐसे घरों की आवश्यकता है, जिनमें शौचालय की पूरी व्यवस्था हो और वे अपनी जगह को साफ रख सकें। बड़े शहर कलकत्ता में मैंने देखा कि एक छोटी सी गुमटी में टियर बनाकर लोग रह रहे हैं। जैसे रेलवे के टू टियर और थ्री टियर होते हैं, उस तरह की टियर की व्यवस्था लोगों ने अपनी छोटी-छोटी गुमटियों में की हुई है। जिनमें आदमी मेहनत करने के बाद ५-६ घंटे बारी-बारी से आराम करते हैं। इस तरह की हालत शहरों में हो गई है। कुछ ऐसे बड़े शहर हैं जिनमें सफाई के नाम पर संकीर्ण मानसिकता के लोगों का प्रभाव हो गया है। वे कहते हैं कि यह शहर एक खास इलाके के लोगों का है। बाहर से आकर यहां लोग हमारे शहर को गंदा करें इसलिए ऐसे लोगों को हमारे शहर में रहने की इजाजत नहीं। उनकी झोपड़िया, झुग्गियां उनके रिहायश के इलाके वहां से उजाड़े जा रहे हैं-क्षेत्रीयता के नाम पर, स्थानीयता के नाम पर इस ओर आपका ध्यान जाना बहुत ही जरूरी है। मुझे ठीक से याद है जब श्री राजीव गांधी जी ने हिन्दुस्तान की, दुनिया की जो सबसे बड़ी मलिन बस्ती है, बम्बई का धारावी इलाका, उसके विकास के लिए करोड़ों रुपये दिये । वहां

भवनों का आवंटन हुआ और लोग वहां गये लेकिन जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन्होंने अपने ही घर को जो सस्ती कीमत पर या मुफ्त में सरकार ने उनको मुहैया कराये थे, बेचकर फिर से झुग्गी-झोंपड़ी में चले गये।

श्मुझे ठीक से याद है, श्री टी.ए. पई हिन्दुस्तान की लाइफ इंश्योरैंस कार्पोरेशन के चेयरमैन हैं, मुम्बई टैक्सीमैन यूनियन ने अपना एक संगठन बनाकर उनसे ४ प्र ातिशत सूद दर पर जमीन ली और कुर्ला में डा. राम मनोहर लोहिया के नाम पर टैक्सीमैन के लिए एक बस्ती बनी। बस्ती बनाकर उनको ५,००० से १०,००० रुपये में आवास दे दिए गए। उसके एक-डेढ़ साल बाद, वे उन आवासों को ४-५ लाख रुपये में बेचकर फिर से झुग्गी-झोंपड़ी में चले गए। आज गांवों में कानून है कि किसी भी दलित की जमीन को कोई आदमी नहीं खरीद सकता। उसी तरह का एक कानून बनना चाहिए कि जहां आप सरकार की ओर से सस्ती कीमत पर या मुफ्त में आवास मुहैया करते हैं, उस आवास को किसी भी कीमत में कोई दूसरा आदमी नहीं खरीद सकता। ऐसा एक कानून बनना चाहिए ताकि इस तरह की प्र ाक्रिया को रोका जा सके।

मैं थोड़े से सुझावों के साथ दूसरा आग्रह करना चाहता हूं कि परम्परागत ढंग से गांवों में जो हरिजन बस्तियां हैं, उनको नए सिरे से बसाने की एक महत्वाकांक्षी योजना बननी चाहिए। गांवों में पुराने जमींदारों की जमीन पर, अपना हल जोतने के लिए थोड़ी सी जगह पर रिहाइश देकर, झोंपड़ी बनाने की जगह देकर, पुराने जमींदारों ने गांवों में हरिजन बस्तियां बसाईं। आज वे उतने ही में महदूद हैं। उनके छोटे-छोटे जानवर, उनके सूअर, उनकी पाली हुई बकरियां यदि किसी के खेत में गईं या तो उनका वध होता है या पिटाई होती है। इसलिए गांवों के लिए भी आपने २-२ संगठन बनाए जिनको सूडा और डूडा के नाम से जाना जाता है, वे भी अपने मकसद में बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। उनकी बैठकें नहीं होतीं। उसमें स्लम डवैलर्स के लिए मकान बनाने और मलिन बस्तियों के सुधार की जितनी कोशिश होनी चाहिए, ये प्राधिकरण अपने लक्षय से भटक रहे हैं। उनके क्रियाकलापों को सुदृढ़ करने के बारे में भारत सरकार को सोचना चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर जो हुडको है, जिसकी ओर से आसान कीमत पर बहुत सीमित सूद दर पर, प्राधिकरणों को साधारण लोगों के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, उसकी आप समीक्षा करें कि विकास प्राधिकरणों को हुडको ने जितना पैसा दिया और उसका इस्तेमाल किस सीमा तक हुआ। हाउसिंग डैवलपमैंट बैंक बना, उसके लिए आपने कानून बनाया कि जो भी पैसा एक्साइज़ या कस्टम डयूटी से, मुकदमे से बचा हुआ होगा, वह उस बैंक में जाएगा और वह बैंक पूरे देश में हाउसिंग डैवलपमैंट का काम करेगा। लेकिन ३-४ साल पहले इसी सदन में इस बात पर चर्चा हुई कि उस बैंक के प्रबंधक ने सारे शेयर्स को हाउसिंग के कार्य में न लगाकर पैसा कमाने की दृष्टि से उन्हें बेच दिया, वे सारे शेयर्स डूब गए और बैंक दुर्दशा की गति को प्राप्त हो गया। इस सारी परिस्थितियों के बारे में भारत सरकार सोचे और एक योजना बनाएं। जब हम २१वीं शताब्दी में पदार्पण करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत एक सभ्य मुल्क है, दुनिया को ऐसा संदेश देने की बात कर रहे हैं, तो उस देश में २१वीं शताब्दी में जब हमारी आबादी एक अरब से ऊपर हो जाएगी, आज हम दुनिया के दूसरे नम्बर के देश हैं लेकिन २१वीं शताब्दी में हम आबादी के लिहाज से भी दुनिया के नम्बर एक देश हो जाएंगे। लोगों का ऐसा आकलन है कि सन् २०१० तक हमारे देश की आबादी चीन से भी अधिक हो जाएगी। जब हमारी आबादी एक अरब १० करोड़ हो जाएगी तो उस समय तक हमारे देश में स्लम डवैलर्स की आबादी लगभग ५० करोड़ हो जाएगी। यह हमारे आजाद हिन्दुस्तान के लिए, भारत जैसे अपने को सभ्य मुल्क घोषित करने वाले देश के लिए, बहुत ही शर्म की बात है। इसलिए भारत सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना बनाकर, समाज के जो गरीब, कमज़ोर, असहाय, निर्बल लोग हैं उन्हें मकान दें क्योंकि इंदिरा आवास योजना के तहत पूरे ब लॉकभर में, यदि उसकी आबादी एक-डेढ़ लाख की है और उसमें २५,०००-३०,००० दलित वर्ग के लोग रहते हैं, एक ब्लॉक में करीब-करीब ४०,००० के आसपास कमजोर वर्ग के ऐसे लोग होंगे जिनके पास मकान नहीं हैं। एक ब्लॉक में आप इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एक दर्जन घर बनाने की छूट देते हैं। उस घर को देने के लिए आबंटन की जो पद्धति है, उसमें जिस तरह की लूट है, गरीब आदमी पक्षपात का शिकार होकर, उसका अपेक्षित लाभ उठाने में विफल हो रहा है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इंदिरा आवास योजना के तहत आपका जो बजटीय आबंटन है, उसमें वृद्धि होनी चाहिए।

श्हर ब्लाक में, हर खण्ड में एक महत्वाकांक्षी योजना बनाकर इसी शताब्दी के प्रथम वर्ष तक हम सभी गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को घर मुहैया करा दें, ऐसा घर जो शौचालययुक्त हो, उस घर में शौच जाने की पूरी व्यवस्था हो, सफाई हो, इस व्यवस्था के साथ ऐसा घर हम दे सकें, इस योजना को हमें अंजाम देना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं डा. पांडेय के प्रस्ताव का इस उम्मीद के साथ पुरजोर समर्थन करता हूं कि वे किसी भी हालत में इसे वापस नहीं लेंगे और हमारे जैसे लोगों का समर्थन प्राप्त करने का अपने को हकदार मानेंगे। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

... (व्यवधान)

">

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं आपको मकान दे रहा हूं न।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : माननीय सभापति जी, भार्गव जी बोल रहे हैं, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले यहां माननीय सांसद महोदय बैठे हुए हैं और खासकर जो बेचारे नये चुनकर आये हैं, वे एक कमरे में अपने भवनों में गुजारा कर रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि हम लोगों को जब मकान नहीं मिल पा रहा है तो पूरे भारतवर्ष की जो गरीब जनता है, उसको कैसे आवास देंगे, इस विषय में भी कुछ कहना चाहेंगे?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : चूंकि मैं आवास समिति का सभापति हूं, जहां पहले ६-६ महीने में आवास का आबंटन होता था, मैंने आफिसर्स के साथ बैठकर पौने दो महीने में माननीय सदस्यों को आवास दे दिये हैं और मुझे उसके नाते बहुत लोगों के धन्यवाद भी मिले हैं। पर मेरी कठिनाई यह है कि जो आवास अभी तक खाली नहीं हो रहे हैं और लोगों को मकान नहीं मिल पा रहे हैं, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी यहां पर विराजमान हैं, माननीय स्पीकर साहब से मैंने निवेदन

किया है, सम्पदा अधिकारी से मैंने निवेदन किया है कि वे मकान खाली हो जायें और आपको मिल जायें। मुझे उम्मीद है कि जून के महीने में आपको बाहर गर्मी में तड़पन न हो, आप अपने पंखे के नीचे बैठें, अपने मकान के अन्दर बैठें। जितना मुझसे प्रयास हो सकता है, मैं प्रयास कर रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): मिनिस्टर साहब हैं, आप नोटिस देने से पहले हमारा मकान तो एलाट कर दीजिए। आप हमारा अपमान करते हो। मुलायम सिंह को भी नोटिस दे दिया। हमारा मकान कहां एलाट किया है, बताओ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अब पांच मिनट का मैं समय लेकर आदरणीय डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं भी भाई मोहन सिंह जी के साथ अ पने आपको जोड़ते हुए यह बात कहना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ी समस्या है।

माननीय मंत्री जी यहां विराजमान हैं, इसका निदान होना बहुत जरूरी है। यह समस्या गांव की भी है और शहरों की भी है। कच्ची बस्ती गांवों में भी हैं और कच्ची बस्ती शहरों में भी हैं। एक व्यक्ति को दो चीजें आवश्यक होती हैं, पहला आवास और दूसरा भोजन। भोजन न मिले तो फिर भी आदमी पानी पीकर, चने खाकर अपना काम चला लेगा, लेकिन यदि आवास नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूं कि आदमी दुखी होता है, यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

सरकार ने २० सूत्री कार्यक्रम भी बनाया है, इन्दिरा आवास योजना भी बनी है, पर इन्दिरा आवास योजना में अच्छे मकान नहीं बनते हैं। जो मकान बनते हैं, कई बार बारिश में गिर जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस ओर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी की यह जो मिली-जुली सरकार है, इसने इस साल अपने बजट में काफी धनराशि इन्दिरा आवास योजना को आगे बढ़ाने के लिए रखी है, इसलिए मैं सरकार को अपनी ओर से और सब लोगों की ओर से, इसमें कहीं कोई विरोध नहीं होना चाहिए, धन्यवाद देना अपना परम कर्तव्य समझता हूं। इसके बाद राष्ट्रीय आवास नीति बनी है। कच्ची बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, मैं यहां पर निवेदन कर देना चाहता हूं, एक कच्ची बस्ती वह जो योजनानुसार बनाई जाती है और एक कच्ची बस्ती वह जो जैसे के तैसे लोग बैठे हुए हैं, उनको वहां पर बैठा दिया जाता है। भारत सरकार ने जो बस्ती योजनानुसार बैठना चाहती है, उस बस्ती के नाते तो प्रति व्यक्ति अपने डेढ़ रुपया, चार रुपये, पांच रुपये देने की घोषणा की है पर जो बस्ती यों की यों रहना चाहती है, यों की यों बसना चाहती है, जैसे कहीं पर किसी का मकान फ्रण्ट रो में आ गया तो वह अपनी दुकान बनाना चाहेगा, मेरा अर्थ यह है कि सब इर्रेस्पैक्टिव है, दोनों में जो भेदभाव भारत सरकार ने कर रखा है कि जो बस्ती ठीक प्रकार से बसेगी, उसको तो अनुदान देंगे और जो बस्ती इसी प्रकार से रहेगी, उसको अनुदान नहीं देंगे। दोनों को समान रुप से अनुदान मिलना चाहिए, ऐसा मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है। प्रति व्यक्ति जो पैसा मिल रहा है, उसमें भी अब महंगाई के कारण उस रकम को बढ़ाया जाना चाहिए।

श्कच्ची बस्ती ठीक प्रकार से बस जाए, वहां पर शौचालय की, पानी की और बिजली की व्यवस्था हो। इसके साथ ही वहां रहने वाले लोगों के बच्चों के लिए पार्क या खुले मैदान और प्राइमरी तथा मिडल स्कूल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इन सुविधाओं का अभाव रहेगा तो वह कच्ची बस्ती कच्ची बस्ती ही रहेगी।

सभापति महोदय, आपने दिल्ली आते-जाते हुए देखा होगा कि रेल लाइन के किनारे-किनारे कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं और उनमें हजारों लोग रह रहे हैं। जयपुर शहर में भी ऐसी ही व्यवस्था है। उनको जब तक पक्की बस्ती में परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक हम मानव की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से गंदे नालों के साथ-साथ लोग रहते हैं। उनके घरों में, झोंपड़ियों में गंदगी का राज रहता है। वहां कीड़े-मकौड़ों की भांति लोग रहते हैं। देश की आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। यदि हम वास्तव में मानव की सेवा करना चाहते हैं तो उनको नालों के किनारों से उठाकर अच्छी जगह पर बसाना चाहिए। क्योंकि वहां जब बारिश आ जाती है तो और गंदगी फैलती है, जिससे कई किस्म की बीमारियां घर कर लेती हैं। आवासन मंडल और हाउसिंग बोर्ड ने उनको मकान नहीं दिए हैं। इसलिए उनको वहां से उठाकर पक्की और खुली जगह पर बसाया जाए।

कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को कहीं भी मकान नहीं मिल रहे हैं। अगर कहीं मिल भी जाते हैं तो सरकार उस कच्ची बस्ती को साफ करके कब्जा नहीं करती, जिसका परिणाम यह होता है कि वहां रहने वाले लोग अपने पौत्रों या अन्य लोगों का कब्जा वहां करा देते हैं और उनको उस जगह का या झोंपड़ी का हकदार बना जाते हैं। फिर सरकार की तरफ से घोषणा होती है कि १९८१ तक वाली बस्तियों का नियमन किया जाएगा। कच्ची बस्ती का मामला वोटों से भी जुड़ा है। हमें उनसे वोट मिलते हैं इसलिए हम कह देंगे कि १९९० तक का नियमन करेंगे या कोई और तारीख अपनी सहूलियत के हिसाब से फिक्स कर देंगे। इसलिए वोटों की राजनीति न करते हुए हमें इस समस्या को मानवीयता के आधार पर समझना चाहिए। जो जहां बैठा है, वह वहीं कच्ची बस्ती में बैठा रहेगा, इस नारे के आधार पर हम कच्ची बस्तियों का कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए सभी माननीय सदस्यों को इस पर विचार करना चाहिए।

हमें सीलिंग की भूमि से उनको जमीन देनी चाहिए। मंत्री जी लैंड सीलिंग एक्ट खत्म करने जा रहे हैं। इस कानून का आशय था कि सबको जमीन सस्ते रेट पर मिले। जमीन मिल जाने के बाद कर्जा मिले और आसान किस्तों पर मिले, तभी लोगों को लाभ मिलेगा। मैं अपने राज्य की सरकार की बात कहना चाहता हूं। जयपुर में विद्याधर नगर नाम की योजना बनी। १९ वर्ष में १९ रुपये महीना देने की घोषणा की गई। इससे वहां लोगों के अच्छे मकान बन गए। इसी प्रकार की योजना लम्बे वर्षों की बनाई जाए तो लोगों को ठीक से लाभ मिल सकता है। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। इस तरह से लोगों को अच्छे टाइप के मकान मिलेंगे और एक निश्चित समय में मिलेंगे। लेकिन मेरा अनुरोध है कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर मैटिरियल में गड़बड़ हो गई, भ्रष्टाचार पनप गया तो लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आप चाहें तो हुडको से मकान बनवाएं और चाहें तो आवास संस्थाओं से बनावाएं, लेकिन ये दोनों भी अपना कमीशन नहीं छोड़ती हैं। जयपुर शहर में यदि मैं सांसद के प्रतिवर्ष के फंड से सड़क बनवाता हूं तो ४० प्रतिशत सी.पी.डब्ल्यू.डी. वाले ले लेंगे। इसी तरह से एक हैंडपम्प का ४५,००० रुपया ले लेते हैं, चाहे उसमें दो ही पाइप क्यों न गाड़ी जाएं। आखिर सांसद का फंड भी भारत सरकार का ही है। अगर कहीं दो पाइप गाड़ी जाएं तो दो का ही पैसा लिया जाना चाहिए, चार गाड़ी जाती हैं तो चार का पैसा लेना चाहिए। सड़क पर पूरी तरह से डामर नहीं डाला जाता है। इसलिए जो सांसद के कोष का एक करोड़ रुपये का प्रावधान भारत सरकार ने किया है जो एक वर्ष में मिलता है, इस सम्बन्ध में सरकार नीति बनाए। यदि सांसद के पैसे से विकास का काम होता है या हैंडपम्प लगाया जाता है तो उतना ही पैसा काटा जाए। इसी तरह से सड़क बनाने के लिए ४० प्रतिशत कमीशन न लिया जाए।

स्कूल में यदि कमरा बनवाते हैं, उसमें जो कमीशन दिया जाता है, वह कमीशन नहीं दिया जाना चाहिए। यह भारत सरकार की नीति होनी चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो मैं समझता हूं कि एक करोड़ रुपए का समुचित प्रयोग हो सकेगा।

मैं लक्ष्मी नारायण जी से भी यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस प्रस्ताव पर अड़े रहें और सरकार से भी मेरा निवेदन है कि वह भी निश्चित रूप से गरीबों के हित में, मानव के हित में, इनको कच्ची झोंपड़ियों से उठाने की दिशा में कुछ काम करे। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी यह काम नहीं कर सकी तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा अपराध होगा। इसलिए इस सरकार को मजबूती प्रदान करने के लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मानव की सेवा करने का एक सुअवसर सरकार को मिलेगा। वक्त आता है, वक्त चला जाता है, केवल याद रह जाती है। अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि वह कच्ची बस्ती के लोगों को ऊपर उठाने के लिए उनके लिए ठीक प्रकार से रहने की व्यवस्था करे तथा उनको सस्ते मकान मिलें, इस संबंध में आप विचार करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

">

श्री शिवराज वी. पाटील (लाटूर) : सभापति महोदय, आज जो विषय यहां पर लिया गया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें लक्ष्मी नारायण जी को बधाई देनी चाहिए। आदमी के जीने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि अनाज, कपड़ा और मकान। ये तीनों चीजें जब तक हम अपने नागरिकों को नहीं देते हैं, तब तक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। खुशकिस्मती से हमारे काश्तकारों ने ऐसा काम किया कि हम आज अपने देश में इतना अनाज पैदा कर रहे हैं कि अनाज के मामले में किसी को खास तकलीफ नहीं होती है। इसी प्रकार से हमारे देश में कपड़े के लिए भी किसी को तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। आज कपड़ा इतना बना हुआ है कि उसे हम यहां पर नहीं बेच सकते हैं और बाहर भी नहीं बेच सकते हैं। उन कपड़ों का क्या किया जाए, यह सवाल हमारे समक्ष बना हुआ है।

तीसरी बात मकान देने की या शैल्टर देने की है। अगर हम देखें तो हमने अपने लोगों के प्रति यह वादा पूरा नहीं किया है। अब समय आ गया है कि यह वचन भी हमको पूरा करना होगा लेकिन हम सोचते हैं कि आज ऐसा क्यों हुआ जब हमने अपने देश के विकास की बात को सामने लिया। कुछ लोगों ने सोचा था कि हम जब मकान बनाते हैं तो वह प्रोडक्टिव इंवेस्टमेंट नहीं है। मकान पर खर्च करने में कोई उपज नहीं होती और इसलिए मकान का मामला कुछ देर तक रुक सकता है, ऐसा हमने सोचा तथा इसी वजह से आज तक हमने मकान बनाने का काम पूरा नहीं किया।

आज जबकि हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, यह काम अत्यधिक जटिल हो गया है। इसको पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर कुछ करना जरूरी है। सवाल यह आता है कि इसके लिए क्या करना जरूरी है? मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मकान बनाकर देने का प्रश्न हल करना है तो हमें सबसे पहले जमीन लोगों को देनी जरूरी है। जब तक जमीन नहीं मिलती तब तक मकान नहीं बनाया जा सकता। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक छोटा सा कमरा बनाने के लिए भी जमीन नहीं है। उन लोगों को सबसे पहले जमीन देना बहुत जरूरी है।

श्नगरों में भी जिन लोगों के पास घर नहीं हैं, जिनको जमीन नहीं मिलती, उनको भी जमीन देने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। शहरों में जमीन की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। जब तक घर बनाने के लिए जमीन नहीं मिलती, तब तक घर नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्न यह है कि जमीन देने का काम हम कैसे कर सकते हैं, इस बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है।

जहां तक देहात का प्रश्न है, अगर सरकार के पास जमीन है, तो देहात के लोगों को जमीन देनी चाहिए। अगर वहां पर जमीन नहीं है, तो जमीन एक्वायर करके या जमीन खरीदकर इन लोगों को देनी चाहिए। कम कीमत पर जमीन देना जरूरी है और जब तक यह जमीन नहीं दी जाएगी, तब तक देहात का गरीब आदमी मकान नहीं बना सकेगा। जहां तक शहरों का सवाल है, मैं इस सवाल को दो भागों में बांटता हूं - एक टाउन और दूसरे शहर। टाउन्स में भी जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई है। यहां जमीन नगर परिषद की तरफ से, कारपोरेशन की तरफ से एक्वायर की जा सकती है, प्लाटस बनाए जा सकते हैं तथा जो लोग मकान बनाना चाहते हैं, उनको जमीन दी जा सकती है। यह काम वहां की स्थानीय निकाय के द्वारा किया जा सकता है। जहां तक शहरों का मामला है, इस पर भी काफी चर्चा हुई है। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि अर्बन सीलिंग कानून को निकालने जा रहे हैं। मेरे विचार से इसमें लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है। कोई कहेगा कि अर्बन सीलिगं एक्ट को निकालने से लोगों को जमीन नहीं मिलेगी और कोई कहेगा कि अर्बन सीलिगं एक्ट को रखने से लोगों को जमीन मिलेगी। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन अर्बन सीलिंग एक्ट को निकालने से अगर लोगों को जमीन मिल सकती है, तो इस एक्ट को खत्म किया जाना चाहिए और अगर इसको नहीं निकालने से जमीन मिल सकती है, तो नहीं निकालना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस अर्बन सीलिगं एक्ट को खत्म करने के बारे में चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि हमें इसकी गहराई में जाना चाहिए कि इस एक्ट को निकालने से लोगों को क्या ज्यादा जमीन मुहैया हो सकती है या नहीं हो सकती है। इस पर गहराई से सोच-विचार हुआ है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मंत्री महोदय से हम कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से हो सकता है, तो जरूर करना चाहिए। लेकिन घर बनाने के लिए हमको पहले जमीन देनी पड़ेगी।

दूसरा प्रश्न है, पैसे की व्यवस्था। मुझे ऐसा लगता है कि मकान बनाने के लिए पैसों की बहुत आवश्यकता होती है। रोटी के लिए उतने पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, कपड़े के लिए उतने पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मकान बनाने के लिए हजारों, लाखों और कुछ लोग तो करोड़ों रुपए भी मकान बनाने के लिए खर्च कर देते हैं, इतने पैसों की आवश्यकता होती है। जब हम घर बनाने के लिए पैसा नहीं दे सकते, तो घर कैसे बन सकता है। सवाल यह है कि यह पैसा कैसे दिया जा सकता है। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर हम इस बारे में कोई पालिसी बनाना जा रहे हैं, तो हमें इस बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है। जहां तक देहातों में गरीब आदमी को पैसा देने की बात है, यह काम तो सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि यह काम ग्राम पंचायत नहीं कर सकेगी, म्युनिसिपैलिटी नहीं कर सकेगी, कारपोरेशन नहीं कर सकेगी और मेरे विचार से राज्य सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। राज्य सरकार का काम जमीन के लेने और जमीन के देने का है, जो उसको करना चाहिए। इसमें अगर केन्द्रीय सरकार को मदद देने की जरूरत है, तो उसको इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। शहरों के अन्दर भी इसी प्रकार से सोचना पड़ेगा। एक समस्या यह भी है कि शहरों में जमीन की कीमतें बढ़ती जा रही है। इसके बारे में भी सरकार को सोचना होगा।

तीसरी बात टैक्नोलाजी की है। घर बनाने के लिए जो टैक्नोलाजी इस्तेमाल करते हैं, वह बहुत पुरानी हो गई है। एक तो हमारी जो पुरानी पद्धति थी, उस पर भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और दूसरे जो पुरानी टैक्नोलाजी अच्छी नहीं है, उसे भी पकड़ कर रखे हुए हैं। देहातों में जो घर बने हुए हैं, वे वहां के एटमासफियर और एन्वायरन्मेंट को ध्यान में रखकर बने हैं जिनमें हजारों-सालों पुराना तरीका अख्त्यार किया हुआ है।

17.00 hrs.

श्उसे हमने छोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि वह जो घर बनते हैं वे बहुत सारे मिट्टी, पत्थर, ईंट, सीमेंट और लोहे की मदद से बन रहे हैं, जबकि इन वस्तुओं का उतनी मात्रा में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है बल्कि इस काम में नयी टैक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैं कभी-कभी ऐसा सोचता हूं कि अगर सरकार को सही मायनों में इस प्रश्न को हल करना है तो सोचना पड़ेगा कि कैसी नई टैक्नोलॉजी इस्तेमाल करेके, देहातों मे, शहरों में किस तरीके से घर बनाएं। इस बारे में बहुत गरहाई से सोचने की जरूरत है। हम जब कुछ प्रदेशों में जाते हैं, जहां पर बहुत ठंड होती है वहां घर की दीवारें बहुत बड़ी-बड़ी नहीं होती बल्कि छोटी-छोटी होती हैं और उसके ऊपर जो खर्चा आता है वह बहुत थोड़ा होता है।

महोदय, अब प्री-फेब्रीकेटिड मेटीरियल का सवाल भी यहां पर आता है। अगर जल्दी से घर बनाना है, ज्यादा घर बनाने हैं, अच्छे घर बनाने हैं तो मैं ऐसा सोचता हूं कि हर शहर के अंदर एक-दो या तीन मैटीरियल फेब्रीकेट करने वाले कारखाने हमें लगाने होगें, जैसे कि दूसरे देशों में लगाए गए हैं। उसकी मदद से घर हम छः-छः महीने में नहीं, छह-छह दिन में भी मकान बना सकते हैं। इसलिए नई टैक्नोलॉजी के सवाल पर हमको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। जो यहां के क्लाईमेट को सूट करे, ऐसा घर हमको बनाना पड़ेगा और दूसरे ज्यादा मेटीरियल उसमें इस्तेमाल करने की जरूरत न हो, ऐसी टैक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि जो भी घर हम बनाएंगे वे ऐसे बनें जिसके अंदर क्वालिटी हो, मजबूती हो और लोगों की सुविधाओं का भी सवाल हो, इसके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है।

महोदय, सवाल यह पैदा होता है कि यह काम कौन करे, क्या यह काम हम सिर्फ सरकार को करने के लिए कहेंगे। यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, जिला परिषद को, पंचायत समिति को या विलेज लेवल के विलेज को या नगर परिषद को करने के लिए कहेंगे तो क्या यह हो सकेगा। मैं समझता हूं कि सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ कर यह काम नहीं चलेगा, इसके लिए दूसरों को भी मदद करने की जरूरत है और दूसरा कौन मदद कर सकता है। यूनियन गवर्नमेंट को तो मदद करना जरूरी है, स्टेट गवर्नमेंट को मदद करना जरूरी है। जिला परिषद और पंचायत समिति को भी इसमें मदद करने की जरूरत है। ग्राम पंचायत और म्युनिसिपेलिटी को भी इसमें मदद करनी पड़ेगी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो सूसरे इंस्टीटयूशंस हैं उनको भी मदद करनी पड़ेगी। अगर कोई लेबोरेटरी बनने जा रही है तो हाउसिंग का प्रोबलम उसके साथ सोल्व होना चाहिए। अगर कोई फैक्ट्री बने जा रही है तो जो फैक्ट्री बनाते हैं उनको यह प्लान बनाना पड़ेगा कि अ पने नौकरों को, आफिसर्स को या उनके साथ काम करने वालों को घर देने का काम कैसे करें। यह जो जिम्मेदारी है, यह सिर्फ सरकार पर छोड़ कर नहीं चलेगी। इस जिम्मेदारी को प्राइवेट इंस्टीटयूशंस, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ या प्राइवेट सैक्टर को भी शेयर करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है और फिर बाद में इनडिविजुअल को अ पने लिए तो खुद करना ही पड़ेगा। मगर यह जो घर बनाने की बात है, मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि टूरिज्म और हाउसिंह प्राइवेट सैक्टर में हैं, यह कोई भी रिएलाइज़ नहीं करता है। इसके बाद भी हमारे घर नहीं बने हैं, टूरिज़म हमारे पास डेवलप नहीं हो सका और हम कहते जा रहे हैं कि टूरिज़म और हाउसिंग प्राइवेट सैक्टर में से निकाल कर प्राइवेट सैक्टर इसके अंदर हमको बहुत मदद कर सकता है। प्राइवेट सैक्टर की भी इसके अंदर कुछ खामियां हैं, इसको भी ध्याद रखना पड़ेगा। क्या आप प्राइवेट सैक्टर से निकल कर पब्लिक सैक्टर में लाना चाहते हैं या गवर्नमेंट सैक्टर में इसको लाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि जहां तक हो सके यह प्राइवेट सैक्टर में ही रहना चाहिए। मगर जो प्राइवेट सैक्टर में काम करते हैं उन लोगों को जो प्रोफिट इसके अंदर मिलता है उसके अंदर सीलिंग होनी चाहिए। आगर आप लैंड की सीलिंग निकालते हैं तो प्राइवेट सैक्टर में जो घर बने हुए हैं, इनके ऊपर जो प्रोफिट ले रहे हैं उसके ऊपर सीलिंग लगाने की जरूरत है। जब घर की कास्ट हम निकालते हैं कि कितनी कीमत एक घर के लिए लगी है। इसकी कास्ट निकालें- २० परसैंट, ६० परसैंट, सौ परसैंट प्रोफिट है, अगर ३०० परसैंट, ४०० परसैंट, १००० परसैंट इसके ऊपर प्रोफिट देंगे तो यह काम नहीं चल सकेगा, ऐसा मुझे लगता है।

इसके साथ ही साथ जो कानूनी कठिनाइयां हैं, उनके बारे में भी कहा है। हमारे एक साथी ने यहां पर कहा कि राइट यू शैल्टर भी हमें अपने संविधान में देना चाहिए। जेठमलानी साहब तो हयूमन राइटस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। उनके मन में यह बात है। मैं नहीं समझता कि यह जो राइट टू शैल्टर है वह आसानी से दिया जा सकता है। असल में राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू एजूकेशन, राइट टू क्लोदिंग, राइट टू शैल्टर अत्यंत आवश्यक हयूमन राइटस हैं। लेकिल सिर्फ यही राइटस हमने अपने सिटीजन को नहीं दिये हैं, बल्कि राइट टू स्पीक, राइट टू मूव, राइट टू ऑकूपेशन भी दिया है। ऐसे अलग-अलग किस्म के राइटस दिये हैं, जो जीने के लिए आवश्यक नहीं हैं लेकिन अच्छी जिंदगी के लिए आवश्यक हैं, मगर यह राइट क्यों नहीं दिया है। हमें बड़ी खुशी होगी अगर राइट टू प्राइमरी एजूकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू शैल्टर सरकार देने जा रही है। लेकिन सरकार को देखना होगा कि ये चीजें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। अगर हो सकती हैं तो सरकार को करना पड़ेगा। कभी-कभी ऐसा लगता है कि अगर सारी चीजें सरकार की तरफ से ही करने की हम सोच रहे हैं तो कोई भी राइट हम किसी को भी अच्छे ढंग से नहीं दे सकते हैं। राइट देने की जिम्मेदारी सरकार के साथ-साथ अगर प्राइवेट संस्थान और इंडीविजुएल ने भी ले लीं तो इस प्रकार के राइटस दिए जा सकते हैं। जापान जैसे देश में राइट टू वर्क दिया गया है और उसके साथ-साथ उन्होंने डयूटी टू वर्क भी अपने संविधान के अंदर लिखा है। राइट और डयूटी अगर साथ-साथ वे दे सकते हैं तो हम भी अपने यहां दे सकते हैं।

17.07 hrs. (Shri Raghuvansh Prasad Singh in the Chair)

मेरा तीसरा और आखिरी पाइंट यह है कि आवास की नेशनल पॉलिसी पर जब हम विचार कर रहे हैं तो केवल एक दरवाजा और दो खिड़कियों से काम नहीं चलेगा। उसके बारे में और भी ज्यादा आगे चलकर हमें सोचना होगा। बहुत सारे मकान गांवों और नगरों में ऐसे बने हैं जहां तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है और रास्ता अगर है तो इतना छोटा है कि एक गाड़ी एक तरफ से जाए तो दूसरी गाड़ी दूसरी तरफ से नहीं आ सकती है। बहुत सारे घर भी ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं है। अभी हमारे साथी मोहन सिंह जी ने कहा कि बहुत सारी जगह शौचालय का भी इंतजाम नहीं है। यह बहुत मुश्किल और गंभीर बात है। हमें सैनिटेशन के बारे में भी सोचना होगा। इसमें जो सबसे गंभीर चीज है वह टाउन प्लॉनिंग की बात है। अगर विलेज प्लॉनिंग, टाउन प्लॉनिंग, सिटी प्लॉनिंग अच्छे ढंग की हो जाए तो सड़क, रास्ता, शौचालय और दूसरी सुविधाओं का सवाल भी हल हो सकता है। अगर हम नेशनल पॉलिसी ऑफ हाउसिंग बनाने जा रहे हैं तो हमें इस प्रकार से बनानी चाहिए कि ये सारे मुद्दे और इनसे संबंधित मुद्दे रिफलेक्टस हों तो ये परेशानियां पैदा नहीं होंगी। इसके लिए नेशनल विल का होना भी जरूरी है। नेशनल प्लॉनिंग के साथ-साथ अगर नेशनल विल भी पॉलिसी के अंदर हो जाए तो शायद हाउसिंग की समस्या हल हो सकती है।

मुझे बहुत खुशी है कि इस संसद के अंदर स्वतंत्रता की ५०वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो बेसिक जरूरियात हैं उनके ऊपर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है तथा उनके ऊपर गहराई से विचार हो रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसी योजना पहले बनाई गयी है तो उनको भी निकाल कर देखना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार के ऑफिसों में ऐसी पॉलिसीज बनती हैं, फिर चार साल बाद भूला दी जाती है। दूसरी सरकार आ जाती है तो दूसरी पॉलिसी बनाई जाती हैं। सिंचाई की, हाउसिंग की, एजूकेशन की बहुत सारी पुरानी पॉलिसीज हैं, उनको भी निकाल कर देखना चाहिए। उनके अंदर कोई कमी हो तो उसको दूर करना चाहिए तथा आज के हालात के अनुसार उनको दुरूस्त करके नयी पॉलिसी आए तो मैं समझता हूं कि सदन के सारे लोग उस पॉलिसी का समर्थन करेंगे और शायद हमारे देश का जो सबसे बड़ा सवाल है वह अच्छी तरह से हम हल कर सकेंगे।

">

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : सभापति महोदय, मैं हिन्दी में बोलने की कोशिश करूंगा। आपकी जो हाउसिंग पालिसी बन रही है, उसका क्या आधार है? गवर्नमैंट हाउस बना देती है लेकिन प्राइवेट लोग जो हाउस बनाते हैं, उसकी क्या पालिसी है? वे पांच सितारा होटल की तरह बड़े-बड़े मकान बनाते हैं। मैट्रोपॉलिटन सिटीज के स्लम्स में जो लोग रहते हैं, उनके लिए कोई घर नहीं बनाए गए हैं। वे स्लम्स में रहते हैं। उनके एक तरफ पांच मंजिल के बड़े-बड़े मकान बनते हैं। गांवों में आम लोग रहते हैं। सरकार ने इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाए। वे मकान १६ हजार में बनते हैं लेकिन वे सहीं ढ़ंग से नहीं बनते। कॉन्ट्रैक्टर लोग पैसा खा जाते हैं। इस कारण घर ठीक से नहीं बनते। जो गरीब आदमी है, जो पावर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, उनके ज्यादा बच्चे भी होते हैं। ऐसे ३३ परसैंट लोग हैं। उनको मकान की सुविधा नहीं मिलती। यह एक प्राबलम है। रिच लोगों के कितने मकान होने चाहिए, यह गवर्नमैंट फिक्स कर दे। उस संख्या से अधिक उनके मकान नहीं होने चाहिए। उनके इकोनमिक स्टेटस को भी ठीक करने की आवश्यकता है। मकान फेजवाइज बनने चाहिए। पैसे वाला आदमी ज्यादा पैसा खर्च करके घर बनाता है। रूरल एरिया में किस तरह के मकान बनने चाहिए, यह गवर्नमैंट की तरफ से फिक्स होना चाहिए। गवर्नमैंट गरीबों के लिए मकान बनाती है और जिन के पास घर नहीं है, उनके लिए घर बनाती है। वह एक पालिसी के आधार पर ऐसे घर बनाती है लेकिन प्राइवेट लोग जो घर बनाते हैं, उनके लिए कोई पालिसी नहीं बनायी गई है। हमारे यहां हाउसिंग शॉर्टेज तो है ही। गरीब लोग गांवों और शहरों में रहते हैं। उनके लिए ४० मिलियन हाउसिंग यूनिटस हैं। उसके साथ रिलेटेड एनवायरनमैंट और हाइजिन भी है। ड्रेनेज सिस्टम और लैट्रिन के बारे में सभी सदस्य यहां बोले हैं। गांव का गरीब आदमी एजुकेटिड नहीं है। उसको हाइजिन की जानकारी नहीं है। उसके यहां सोशल प्राबलम क्रिएट हो जाती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख कर हाउसिंग प्रोग्राम बनाया जाए तो अच्छा होगा। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

">

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): सभापति महोदय, मैं लक्ष्मी नारायण पांडेय जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन के सामने देश की उस समस्या के बारे में ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है जो आज किसी विशेष प्रान्त, या किसी शहर, या किसी गांव की समस्या न होकर आज सारे देश की समस्या बन गई है। माननीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो संयुक्त सरकार बनी है, मैं उसको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उसने इस समस्या की ओर ध्यान देने की कोशिश की। इस सरकार का जो राष्ट्रीय एजेंडा बना है, उसमें देश के लोगों से यह वायदा किया गया है वह प्रत्येक वर्ष २० लाख नए मकान बनाएगी ताकि लोगों को मकान दिए जा सकें। मैं महसूस करता हूं कि यह एक ऐसी समस्या है जिस की ओर पिछले पचास वर्षों में जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान नहीं दिया गया।

इसका परिणाम आज यह निकला है कि बड़े-बड़े शहरों में, अच्छे-अच्छे शहरों में, चाहे वह मुम्बई हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो या चाहे कोई शहर हो, हजारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो बड़े शहरों में रहते होंगे लेकिन वह मकानों में नहीं रह रहे हैं, किसी झुग्गी-झोंपड़ी में रह रहे हैं। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र चंडीगढ़ से आता हूं वह एक छोटा सा केन्द्र शासित प्रदेश है और लोग उसे दुनिया का नहीं तो कम से कम हिन्दुस्तान का बहुत खूबसूरत शहर मानते हैं। आप हैरान होंगे कि साढ़े सात लाख की आबादी में कम से कम डेढ़-दो लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं। इस छोटे से केन्द्र शासित प्रदेश में अधिकांश लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से मज़दूरी करने के लिए आते हैं और जहां वह रहते हैं आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक छोटी सी झुग्गी जिसकी छः-सात फुट लंबाई और छः-सात फुट चौड़ाई होगी, उसके अंदर सारा परिवार रहता है। पति वहीं रहता है, पत्नी वहीं रहती है, बच्चे वहीं रहते हैं और शादी-शुदा बच्चे वहीं रहते हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है और किसी किस्म की व्यवस्था नहीं है। लाखों लोग आज उस हालात में रह रहे हैं। उन लोगों के पास रहने के लिए मकान की व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, हज़ारों की तादाद में कर्मचारी भाई बहुत लंबे अर्से से मकान की तलाश में बैठे हैं। उनको तनख्वाह तीन-चार हजार रुपये मिलती है और किसी बड़े शहर में मकान लेना चाहें तो दो कमरे का मकान १५०० रुपये से २५०० रुपये में मिलता है। परिणाम यह है कि तनख्वाह में से लगभग आधा मकान के किराये में खर्च हो जाता है। २०-२५ साल लोगों को नौकरी में आए हुए हो गए हैं लेकिन अभी भी मकान आबंटन के लिए उनका नंबर नहीं आया है। किसी कर्मचारी से पूछें तो पता चलता है कि कहीं १९७४ की सूची चल रही है, कहीं १९७६ की सूची चल रही है। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो सेवा में भर्ती होने के बाद रिटायर हो जाते हैं लेकिन सरकारी मकान के लिए उनका नंबर नहीं आ पाता है। इतना ही नहीं, इसके साथ-साथ दुर्भाग्य से समाज में जो डिसक्रिमिनेशन है, जो इनईक्वैलिटी है, वह इतनी ज्यादा है कि एक तरफ बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे मकान नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ आप देखें तो छः-आठ कनाल और एक-एक एकड़ में लोगों की कोठियां बनी हैं, बड़े-बड़े मकान बने हैं और उनमें रहने वाले लोग -- पति, पत्नी, एक बच्चा और साथ में एक कार और सबके अपने-अपने कमरे और घर में एक कुत्ता हैं। एक तरफ चार-पांच लोग रहने वाले हैं और दूसरी ओर हजारों लोग हैं जिनको ठहरने के लिए भी मकान नहीं मिलता है। मैं मंत्री महोदय से विनती करना चाहता हूं कि उनको ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जो बड़े मकान बने हैं, उनके डिविज़न की तरफ आप जाएं, भले ही वह अपने भाई को दें, रिश्तेदार को दें, लेकिन ब्रड़े मकान का कनसेप्ट बर्दाश्त करने की स्थिति में हम नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि इस मामले में हमें नीति बनानी चाहिए और छोटे लोगों के लिए मकान देने की बात करनी चाहिए।

सभापति महोदय, आज जगह की जितनी कमी होती जा रही है, मैं महसूस करता हूं कि जो डॅवलप्ड टाउन्स हैं, जैसे चंडीगढ़ है, वहां फ्लैट सिस्टम की परमीशन देनी चाहिए। आज फ्लैट सिस्टम की परमीशन कम होती जा रही है, स्पेस कम हो रहा है और मकानों की रेक्वायरमेंट बढ़ रही है। आज हम फ्लैट सिस्टम की तरफ जाएं, पांच-छः स्टोरी फ्लैटस की परमीशन दें और मकान बनाएं। फ्लैट सिस्टम हो ताकि अधिक लोगों को अकोमोडेट किया जा सके।

एक बहुत बड़ा वर्ग इसमें जुड़ा हुआ है और वह है पत्रकारों का वर्ग। कुछ स्थानों पर इनको सरकारी मकान देने की व्यवस्था की है। हाई कोर्ट में भी यह मामला आया और सुप्रीम कोर्ट में है। कई स्थानों पर पत्रकारों को सरकारी मकान दिये जा रहे हैं और कई स्थानों पर इनकी व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय

सरकार इस संबंध में एक नीति बनाए क्योंकि जिस पत्रकार को सात-आठ या दस हजार रुपया मिलता है, वह अगर प्राइवेट मकान में रहें तो उसमें बहुत कठिनाई आती है। मेरा निवेदन है कि एक केटागरी जो पत्रकार भाइयों की है, इनके लिए समान नीति बने। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस संबंध में आया है, हाई कोर्ट में भी मामले हैं कि सरकार इस संबंध में एक नीति बनाए ताकि सबको मकान दिये जा सकें और इस समस्या का समाधान निकले।

अभी ज़मीन अक्वायर करने के बारे में ज़िक्र किया गया। यह सही है कि मकान बनाने के लिए ज़मीन अक्वायर करना ज़रूरी है, लेकिन एक तरफ देखने में आ रहा है कि जितनी भी मकान बनाने की संस्थाएँ हैं, वह ज़मींदारों से जमीन अक्वायर करती हैं तो दो-तीन लाख रुपये एकड़ के हिसाब से ज़मीन अक्वायर करती हैं और जब वे मकान बनाकर बेचती हैं तो उसकी कीमत ४०-५० लाख रुपये एकड़ तक होती है। ज़मींदार से ज़मीन सस्ती ले रहे हैं और कंज़यूमर को महंगी दे रहे हैं। हमारे यहां चंडीगढ़ में बहुत समस्या है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो लैण्ड अक्वायर की जा रही है, ज़मींदार को उसका पूरा मुआवज़ा मिलना चाहिए और पूरे मुआवज़े के साथ-साथ जिसकी ज़मीन अक्वायर होती है, उसे रहने के लिए मकान भी सरकार दे।

श्क्योंकि अगर हर आदमी को रहने के लिए मकान नहीं मिलेगा तो उन लोगों की जमीनों पर मकान बनाकर दूसरे लोग वहां रहेंगे। जमींदार और किसान को वह नहीं मिलेगा।

सभापति जी, मोहन सिंह जी ने एक बात कही है और इंदिरा आवास योजना की भी बात चल रही है, हरिजनों के लिए भी कालोनी बनाने की बात चल रही है। मेरा इस संबंध में निवेदन है कि हम अगर बहुत अरसे तक अपने इन दलित वर्गों के लोगों को अलग से कालोनी बनाकर देते रहेंगे, अलग से मकान बनाकर देते रहेंगे तो समाज में समरसता नहीं आ पायेगी। इसलिए हमें इस बात को समाप्त करना चाहिए। चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो, एक ड्रॉ ऑफ लॉट दलित वर्गों, कमजोर वर्गों और गरीब लोगों के लिए हम करें। अब हमें यह समाप्त कर देना चाहिए कि यह मुसलमानों की कालोनी है, यह दलितों की कालोनी है और यह बाकी लोगों की कालोनी है। हमने चंडीगढ़ में ऐसा किया है। हमारे यहां लगभग चार हजार यूनिट मकान बनाकर लोगों को अलाट किये गये हैं और हमने किसी किस्म की इस तरह की व्यवस्था नहीं की है कि यह हरिजन लोग हैं तो इनके लिए अलग से कालोनी होगी और ये बाकी लोग हैं इनके लिए अलग से कालोनी होगी। उन सबको मिलाकर एक रखें ताकि इनमें समरसता आये। ताकि लोग इस बात को भूलें कि मैं फलां जाति का हूं और मैं इस जाति का हूं।

सभापति महोदय, जहां तक बिजली, पानी और शौच का ताल्लुक है, यह बात उन्होंने बिलकुल सही कही है। आज लाखों की तादाद में दिल्ली में और मेरे अपने क्षेत्र चंडीगढ़ में ऐसे लोग हैं जिनके पास शौचालय की सुविधा नहीं है। शौचालय, स्कूल, पानी, बिजली और सड़क ये पांच चीजें ऐसी हैं मैं समझता हूं कि जिनकी केन्द्र सरकार सबके लिए व्यवस्था करे और जो केन्द्र शासित प्रदेश हैं, उनके लिए तो सीधी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की बनती है। बाकी प्रदेशों के लिए तो केन्द्र सरकार कह सकती है यहां पर राज्य सरकारें हैं, वही इस पर ध्यान दें। लेकिन जो केन्द्र शासित प्रदेश है, वे सीधे केन्द्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और मैं चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार एक नीति बनाये।

एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि ये जो सारी बातें हमने कही हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। सारे मैम्बर्स ने जो बातें कही हैं, लोग मकानों के बारे में सहमत हैं। मुझे नहीं लगता इसमें किसी किस्म की दो राय होगी। परंतु हमें एक बात और भी ध्यान में रखनी होगी कि चाहे हम कितनी भी योजनाएं बना लें, कितने भी मकान बना लें, कितने भी फ्लैट बना लें, यदि बढ़ती हुई आबादी पर हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपकी सारी की सारी योजनाएं फेल होती जायेंगी। आज हालत यह है कि जो अस्पताल आपने पांच सौ लोगों के लिए बनाये थे, आज वहां पचास हजार लोग आ रहे हैं। जो मकान आपने पांच हजार लोगों के लिए बनाये थे आज वहां पचास हजार लोग आ गये हैं। आप कैसे पूरा करते जायेंगे। अभी शांता कुमार जी बता रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में हमने मकान बनाकर लोगों को दिये, लेकिन लोग उनको बेच-बेचकर आगे निकलने शुरू हो गये। लोग आते जा रहे हैं और इतना ही नहीं हो रहा है, लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि फलां जगह स्कीम अच्छी है, वहां पर हमें अच्छे मकान मिल सकते हैं। इसलिए यह जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इस पर नियंत्रण करना होगा। सुबह प्रश्नोत्तर के समय एक सुझाव आया कि कई सरकारों ने इस बात की व्यवस्था की है कानून में इसका प्रावधान किया है। हरियाणा का मुझे याद है, हरियाणा म्युनिसिपल ऐक्ट, हरियाणा पंचायत राज ऐक्ट में इस बात की व्यवस्था की गई है कि अगर किसी को दो से ज्यादा बच्चे होते हैं तो वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसी ही सीमाएं सरकारी कर्मचारियों के लिए हमें नौकरियों में लगानी पड़ेंगी। ऐसी सीमाएं हमें बाकी जगहों में भी लगानी पड़ेंगी क्योंकि अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा तो आप कितनी अच्छी स्कीमें बना लें, कितने अच्छे प्रावधान कर लें, उसका किसी किस्म का कोई लाभ होने वाला नहीं है। अतः इस समस्या की ओर भी ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय पांडे जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए और नयी सरकार से यह आशा करते हुए कि उन्होंने जो वादा किया है, वह पूरा करेंगे, और कर्मचारियों तथा बाकी सभी लोगों को मकान बनाकर देंगे, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): सभापति जी, मेरा नाम पहले था लेकिन अभी तक नहीं पुकारा गया।

सभापति महोदय : आपका नाम सूची में है। आपको भी मौका देंगे।

">

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं सबकी बातें सुन रहा था और लक्ष्मीनारायण पाण्डेय जी ने जो प्रस्ताव रखा है, वह बिल्कुल सार्थक है। यह आवश्यक है कि पुराने ज़माने में हम लोगों ने एक नारा दिया था कि रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज सबसे ज़रूरी बिजली पानी और मकान हो गया है। बाकी सारी चीजें तो हो जाती हैं। मैं इस मसले पर सिर्फ एक ही नुक्ता उठाना चाहता था, एक मुद्दा बताना चाहता था। मेरे ख्याल में माननीय मंत्री महोदय, मेरे बड़े भाई इस बात को समझते हैं कि मूलतः कारण जो सत्यपाल जैन जी ने बता दिये, वही बताने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आप कितना ही कुछ करते रहिये, आप लोगों ने जितनी भी समस्याएं बताईं, वे सब की सब सही हैं, एक भी गलत नहीं है। इसके अलावा और भी समस्याएं हो सकती हैं, वे भी सही हैं, लेकिन जब तक आप जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे, आप इन समस्याओं को हल नहीं कर सकते। मैं इस बात का भुक्तभोगी हूं। १९४५ में मैं कालेज से आया। मैं गांव का सरपंच बना था।

श्सभापति महोदय, १९६४ में हमारे यहां कंसौलीडेशन हुआ। उसमें हमने अपने गांव की जमीन को कंसौलीडेट किया। वह अच्छा हो गया। उसके बाद पंचायत की सारे गांव के हिसाब से जमीन निकली। उस निकली हुई जमीन को जितने भी गांव में परिवार बढ़ गए थे, उनको दे दिया। आज ३४ साल बाद फिर वह समस्या आ गई। अब जमीन कहां से आएगी, कैसे आएगी? किसी गरीब की जमीन को ५० हजार रुपए में ले लिया जाएगा और उसको फिर आगे ५० लाख में बेचा जाएगा और गरीब मरेगा। कोई भी अकेली पार्टी इस काम को नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि सब पार्टियों के लोगों को मिलकर इस बारे में सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, १९७७ में यह मामला एक आदमी ने उठाया था। उसके दिल में देश प्रेम था। उसको भविष्य के बारे में मालूम था। उसका देश का भविष्य निर्माण करने का इरादा था। वह इस बात को जानता था कि पापुलेशन कंट्रोल होगा, तभी इस देश का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। उसको इस देश में किसी ने समझा नहीं। उसका बहुत विरोध हुआ और हमारी पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। इसमें पार्टी का सवाल नहीं है। इस काम को कोई अकेली पार्टी नहीं कर सकेगी। मैं चाहता हूं कि हम सब पार्टियों के लोग मिलकर बैठें, पापुलेशन कंट्रोल पर विचार करें और एक निर्णय लें कि किस तरह इसे नियंत्रित करना है।

सभापति महोदय, यदि हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे, तो ऐसा विस्फोट होगा जिसकी मार सभी को सहनी पड़ेगी और तब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। मैं बार-बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि हम सब बैठकर इस बारे में बात करें और सब एक मन बना लें कि कैसे जनसंख्या नियंत्रण करना है। इसको अभी करना होगा, तब कहीं भविष्य सुधर सकेगा। यदि हम इसको नहीं करेंगे, तो देश का कल्याण नहीं होगा, दुनिया का कल्याण नहीं होगा। हम जनसंख्या नियंत्रण कर लेंगे, तो बेरोजगारी का समाधान हो जाएगा, मकान की समस्या सुलझ जाएगी, अन्न की समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर इस देश में कोई भूखा नहीं मरेगा। जो लक्षय हम आज निर्धारित करते हैं, वह जनसंख्या व्रद्धि के कारण सब समाप्त हो जाता है। पहले हम ५० लाख टन अनाज उत्पन्न करते थे, तब भी बाहर से मंगाना पड़ता था, लेकिन अब २० करोड़ टन अनाज उत्पादित कर रहे हैं, लेकिन समस्या जहां की तहां है। बढ़ती जनसंख्या के सामने सब स्वाह हो रहा है। अब भी हमें विदेशों से अन्न मंगाना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, यहां पर सभी विद्वान सांसद बैठे हैं। सभी विधि के प्रवक्ता और विधि निर्माता हैं। मेरा आग्रह है कि हम सब लोग मिलबैठ कर जनसंख्या नियंत्रण के बारे में एक स्वर से एक नीति निर्धारित करें ताकि इस देश को बचा सकें, इस देश के बच्चों को बचा सकें, इस देश के भविष्य को सुरक्षित कर सकें। यदि ऐसा होगा, तो फिर इस देश का कोई बच्चा भूख से नहीं मरेगा। कोई विस्फोट नहीं होगा, किसी को नाले या गंदगी में रहने पर विवश नहीं होना पड़ेगा। आज स्थिति यह है कि आदमी गांव से रोजी-रोटी की तलाश में शहर में भागता है और यहां शर्मनाक जिंदगी जीने के लिए मजबूर होता है।

सभापति महोदय, मैं इस विषय में बोलकर ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बात इस देश के हित में अर्ज करना चाहता हूं कि इस देश के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा निर्णय लें कि एक से ज्यादा बच्चा पैदा न करें फिर भले ही हमें इसको मनवाने के लिए उसको कोई सजा भी क्यों न देनी पड़े। तभी इस देश का कल्याण होगा। धन्यवाद।

">

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): माननीय सभापति जी, मैं आदरणीय डा. लक्षमीनारायण पाण्डेय जी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान ये मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आज यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन पचास सालों की आजादी में हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। जब सवाल आवास नीति बनाने का आता है, तो हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि जनसंख्या नीति ठीक होनी चाहिए और बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण ये सारी समस्याएं हैं। मैं आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि जनसंख्या व्रद्धि भी गरीबी के कारण ही होती है। आप देख लें, अमीरों में जनसंख्या व्रद्धि का अनुपात कम है और गरीबों में अपेक्षाकृत बहुत अधिक है।

सभापति महोदय, दो प्रकार की समस्याएं हैं। एक तो गांवों में जो दलित हैं, उनके आवास की समस्या है। दूसरे वे लोग हैं, जो गांव छोड़कर रोजी-रोटी की तलाश में शहरों में भाग रहे हैं। आज जब यहां आवास के संबंध में बात हो रही है, तो हमारे कुछ मित्र कभी पत्रकारों की समस्या को लेकर बात करने लगते हैं और कभी बड़े लोगों के आवास के ऊपर आकर अटक जाते हैं। श्रीमान मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो गांवों में जो बड़े लोग हैं उनके पास बहुत ज्यादा भूमि है। उनकी जमीनों पर छोटे लोग बसे हुए हैं। उनको मजदूरी का काम करने के लिए बसाया गया था। एक तरह से वे बड़े जमींदारों के बंधुआ मजदूर की तरह काम करने के लिए बसाए गए थे।

श्इंदिरा आवास योजना के नाम पर गांव में मकान बनाने की जो स्कीम है, उसमें बहुत कम राशि दी जाती है। आज के महंगाई के जमाने में २०-२२ हजार में कोई मकान नहीं बनता। उसमें भी काफी भ्रष्ट आचरण होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ब्लाक में १०-१५ मकान मिलते हैं वह भी पता नहीं किसके नाम पर बन जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में खासकर रीवा जिले में आवास की बहुत भीषण समस्या है। अभी डा. लक्षमी नारायण पाण्डेय ने जैसा कहा कि एक राष्ट्रीय आवास नीति बने, ऐसी व्यवस्था हो, वह चाहे हुडको वाले हों, चाहे कोई और हों, जो भी मकान बनाते हैं, सारी की सारी योजना उन लोगों के हाथ में सीमित हो जाती है जिनके पास पैसा है। मैं जानता हूं कि हाउसिंग बोर्ड में मकान लेने के लिए बड़े बड़े लोग जिनके पास पांच मकान, दस मकान हैं, वे एक हल्फनामा दे देते हैं कि हिन्दुस्तान में मेरा कोई मकान नहीं है जबकि उनके पास एक नहीं पांच-पांच मकान होते हैं। जो दलित है, वंचित है, वे एक मकान के लिए भी तरस जाते हैं।

अभी श्री मोहन सिंह कह रहे थे कि शौचालययुक्त मकान हो, धुंआ रहित चुल्हा हो, यह तो तब की बात है जब कम से कम उनके लिए रहने की व्यवस्था हो जाये। अभी अखबारों में छप रहा है कि लू से मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। इस साल इतने लोग मर गये जितने इससे पहले कभी नहीं मरे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों में भी सर्वाधिक संख्या उन्हीं की है जो आवास हीन हैं। लोग कहते हैं कि लू से मर गये, बारिश से मर गये, जाड़े से मर गये, असल में वे गरीबी और विपन्नता से मरते हैं। यह अपने देश का दुर्भाग्य है कि यहां लू से लोग मरते हैं, जाड़े से लोग मरते हैं और भूख से मरने की बात छुपाई जाती है। अभी डा. लक्षमी नारायण पाण्डेय रीवा की बाढ़ की बात कर रहे थे। जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, उनको बसाने की कोई योजना नहीं होती। ये लोग नदी के पेटे में बस जाते हैं। पहले जहां भी बाढ़ आती थी तो नदी के पानी को बहने के लिए बहुत बड़ा पेटा मिल जाता था लेकिन जब से वहां झुग्गी झोंपड़ी बस गयी तब से उसका पेटा बंद हो गया। इस कारण पूरा शहर विनाशलीला का शिकार हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए कोई राष्ट्रीय आवास

नीति बने। जो दलित हैं, जो वंचित हैं, उनको बसाने की एक सुनियोजित योजना हो। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हारिजन आदिवासियों को बसाने के लिए जो अलग-अलग सैक्टर बनाये जाते हैं और सदियों से जो बताया गया है कि गांव का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां ही हरिजन आदिवासी रहेंगे, यह बहुत गड़बड़ वाली बात है। सामाजिक समरसता के लिए यह जरूरी है कि बिना जाति-पाति का भेदभाव किये जो जहां जगह पाये, वहां बस जाये। कम से कम ऊपरी चीजों से यह पता नहीं चलेगा कि कौन सवर्ण है और कौन अवर्ण। यह सारा का सारा काम तब होगा जब कोई राष्ट्रीय आवास नीति बनेगी। हमारी सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है। उसने घोषणा कर रखी है कि हम आवासहीनों

को मकान देंगे। लेकिन मुझे डर लगता है कि जैसे और सारी योजनमाओं का लाभ कुछ मुट्ठी भर लोगों ने लिया है, कहीं इस योजना का लाभ भी वही न ले जायें। इसलिए मैं डा. लक्षमी नारायण पाण्डेय के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक ही बात कहना चाहूंगा कि कुछ सीमित लोगों के हाथ में जाने के बजाए जो भी गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बढ़िया आवास नीति बने ताकि वह अपना सिर छुपा सके। एक ऐसा आवास बनाया जाये जो शौचालययुक्त हो और जिसमें धुंआ रहित चुल्हे की व्यवस्था हो ताकि वह नारकीय जीवन से मुक्ति पा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

">

श्री के.डी.सुल्तानपुरी (शिमला): माननीय चेयरमैन साहब, डा. लक्षमी नारायण पाण्डेय जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसकी ताईद के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है और जिस तरह से उन्होंने दर्शाया है कि आवास की सुविधा होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है।

श्मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश आदि में बड़े-बड़े उद्योग लगाए। लोगों ने फाईनैंस कौर्पोरेशन से पैसा लेकर बड़े-बड़े मकान बना लिए लेकिन पैसा वापिस नहीं किया। उनके मकान भी बहुत खराब हालत में हैं। इस तरह से इंडस्ट्रीज भी खराब हो गई हैं। इसका भी सर्वेक्षण करना चाहिए कि जो मकान फालतू पड़े हैं, वे गरीब लोगों को दिए जा सकते हैं। साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सारे देश में मकान बनाए जाते हैं। छोटे-छोटे मकान होते हैं क्योंकि जगह की बहुत परेशानी है।

यहां कई साथियों ने कहा कि जब तक उनको जमीन ऐलॉट नहीं होती, तब तक हम सही मायने में उनकी मदद नहीं करते। सबसे पहली बात यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के पास कुछ नहीं है, वे बहुत बुरी दशा में हैं।

अभी मोहन सिंह जी ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अलग आबादी होनी चाहिए। लेकिन दूसरे साथियों ने कहा कि यदि हम हरिजन आदि लोगों की मदद करना चाहते हैं तो यह भेदभाव नहीं आना चाहिए। जो लोग गांवों में रहते हैं, उनकी दशा बहुत खराब है, वे कच्चे मकानों में रहते हैं। शहरों में तो हालत और भी खराब है। आप मुम्बई, कलकत्ता आदि किसी भी जगह में चले जाएं, आप देखेंगे कि उनके परिवार में कोई मिस्त्री का काम करता है, कोई कारपैंटर का काम करता है। ये लोग झुग्गियों में निवास करते हैं, सरकार की तरफ से उनको मकान देने की अभी तक कोई योजना नहीं है। गरीब लोगों को इस योजना के तहत लाना चाहिए। पिछली सरकार ने बड़े किसानों का १०,००० रुपया माफ किया। लेकिन यदि किसी गरीब व्यक्ति के पास ५,००० रुयया है तो यह कहा जाता है कि वह पैसा खा गया। बैंकों द्वारा जो टारगैट रखा गया था, उनको उसी के अनुसार पैसा मिलना चाहिए।

हमारे फाज़िल मंत्री बहुत अच्छे ऐडवोकेट हैं, सारे देश में उनका सम्मान हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप कानून बनाना चाहते हैं तो ऐसा कानून बनाएं जिससे गरीब लोगों को मदद मिल सके। यह ठीक है कि गरीब लोगों को जमीन के लिए पैसा देना पड़ेगा क्योंकि हमारे कानून में इस तरह का प्रावधान नहीं है कि हम किसी की जमीन छीन लें। जैसा हमारे पूर्व अध्यक्ष ने कहा, हमको बातचीत का कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे गरीब लोगों के लिए मकान बन सकें। १६,००० रुपये में मकान नहीं बनता, न ही उसमें बाथरूम बन सकता है। इस तरह के ख्याली पुलाव लोगों को खिलाने की जरूरत नहीं है। कोई दिल्ली की बात करता है, कोई मुम्बई की बात करता है, आप रेल में सफर करेंगे तो देखेंगे कि कोई नंगे पांव खड़ा है, किसी के तन पर कपड़ा नहीं है। इस तरह की हमारी आबादी है। सारी आबादी के पालन-पोषण के लिए जब तक कानून नहीं बनता तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता।

श्हमें यह सोचना है कि आज जब हम आजाद हुए हैं तो यह किसी पार्टी का राज नहीं है, सब पार्टियां यहां शासन करती हैं। हम विपक्ष में हैं, हम आपकी त्रुटियों को निकालते हैं, लेकिन अगर त्रुटियों को लेकर आप यह कहें कि यह काम आपने गलत कर दिया, यह ठीक नहीं हुआ, यह काम ठीक नहीं हुआ, उस टाइम में ठीक नहीं हुआ तो आप उसको सुधार लो। अब यह सुधारने का काम आपका है, आप उसको सुधारेंगे तो देश आपको एप्रीसिएट करेगा। अगर आप नहीं सुधारेंगे तो आप यहां नहीं रहेंगे, हमारी तरह आप भी इधर आ जायेंगे, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपको यह सोचना चाहिए कि सभी लोग एक जैसे हैं।

यहां जो हमारे पार्लियामेंट के मैम्बर हैं, उनकी क्या पोजीशन है, उनकी क्या हैसियत है, पिछले २० साल से मैं पार्लियामेंट में हूं, मैं जानता हूं कि मैम्बर के कितने अधिकार हैं। एक लेबर को उतनी तनख्वाह मिलती है, जितनी कि पार्लियामेंट के मैम्बरों को मिलती है। हमारे यहां तो लेबर की तनख्वाह भी ४००० रुपये होगी। यहां हमें १५०० रुपये मिलते हैं और उसकी भी सारे अखबारों में चर्चा होती है। तनख्वाह और बाकी जो टी.ए., डी.ए. जैसा बनता है, वह बहुत कम है। कई स्टेट ऐसे हैं, जो अपने यहां बहुत ही ज्यादा पैसा देते हैं। यहां गाड़ी का लोन ५०,००० रुपये देते हैं, लेकिन कई जगह ५-५, ७-७ और ८-८ लाख रुपया गाड़ी का लोन दिया जा रहा है। जो छोटी-छोटी स्टेटस हैं, वहां ज्यादा दिया जा रहा है। हमने अपने स्टेटस को नहीं समझा, हम अपने स्टेटस को यहीं रखना चाहते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो हम गरीबों की बात करते हैं। हमारे जो आफिसर्स हैं, जो हमसे सर कहकर बात करते हैं, वे अपनी गाड़ी में जाते हैं और हम मैटाडोर में बैठकर जाते हैं, इस तरह का तो हमारा यहां संविधान है, कानून है। हम गरीब लोगों की बात करते हैं, गरीब आदमियों को ऊपर उठाने का आपका कब से ठेका है? आज हिन्दुस्तान का जो हाल हो रहा है, उसमें इस पार्लियामेंट की, हमारी इज्जत भी नीचे जा रही है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपनी लड़ाई गांवों में लड़ लें, इधर-उधर लड़ लें, लेकिन जब हम सदन में हैं तो हमें यहां विचार करके बात करनी है और वह विचार यह हो कि जो गरीब आदमी है, जिसको आज तक किसी ने नहीं पूछा, उसके बारे में आज हम सब इस बात को सोचें, क्योंकि आज हमारे नये सदस्य भी चुनकर आये हैं और उनके अन्दर यह भावना है कि वे राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं।

राष्ट्र का काम तभी हो सकता है, जब ईमानदारी के साथ हम काम करने की सोचेंगे। अगर हम ईमानदारी में कोई फर्क डालेंगे तो काम नहीं चलेगा। जो पूंजीपति हैं, ये न पैसा देते हैं और न ये इन्कम टैक्स देते हैं। टैक्स तो वे लोग देते हैं, जो सरकारी नौकर हैं। उनको जो टैक्स देना पड़ता है, वह तनख्वाह में से कट जाता है। प्राइवेट सैक्टर में जो मोटे-मोटे आदमी हैं, वे कोई टैक्स नहीं देते। इनके ऊपर केस करो तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, वे अपने आपको यहां तक कहते हैं कि तब तक हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, जब तक कि अदालत हमें सजा नहीं दे देती। जब अदालत सजा दे देगी तो अगली बार में भ्रष्टाचारी बनेगा। हमारे यहां साथी बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या जुर्म किया कि रैस्टोरेंट में किसी जगह उनके पी.ए. ने कह दिया तो उसको भी १० साल की कैद हो गई और यह फिजूल देने नहीं देने की कोई बात नहीं है। जो आदमी गरीब आदमियों का सेवादार हो, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर अन्याय होता है तो उसके लिए हम सब को लड़ना चाहिए और हमें अपना दर्जा कम नहीं करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मैम्बर पार्लियामेंट ऐसे ही चुनकर आ जाता है। हमें १०-११ लाख लोग वोट देते हैं और फिर इस सदन में हम आते हैं। फिर हम ऐसी बातें कहते हैं और यहां एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। इससे हमारा मान और सम्मान बढ़ेगा, हमारी इज्जत बढ़ेगी?

अगर हमें आज गरीब आदमी के लिए हाउस देना है, हाउस देने के लिए काम करना है तो उसके लिए ठीक ही कहा है कि रोजी, रोटी और मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान। इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा और वह सोच सही होनी चाहिए।

माननीय सदस्य ने रैजोल्यूशन पेश कर दिया है, यहां पर मुझे डर यह है कि यहां हमारे जेठमलानी जी अपील करेंगे कि मैं इसपर विचार करूंगा, इसलिए आप इसको वापस ले लें और पांडेय जी बैठ जायेंगे। आप ऐसा मत करना, यह मैं आपको बता रहा हूं, आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मंत्री जी का कहना भी मत मानना।

श्री सत्य पाल जैन : आप यही करते आये हैं, यह परम्परा आपकी ही डाली हुई है।

श्री के.डी.सुल्तानपुरी : हम आपका पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, यह मैं आपको वचन देता हूं। हमारी पार्टी के सब सीनियर लीडर्स ने भी इसी बात का वचन दिया है। हम पूरी तरह से आपके प्रस्ताव के साथ हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है और आपको इसके लिए बधाई देता हूं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना ही कहना हैः

रेशम के गलीचों पर धनवान के बेटे सोते हैं,

और जिनकी बदौलत सब कुछ है, वे रात को बैठे रोते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।

(इति)

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): Mr. Chairman, Sir, we are sitting here till 6 o'clock and there are only 15 minutes left for Six o'clock. I have a Cabinet meeting to attend at five minutes past Six o'clock. If you agree and if the House agrees, we can continue this discussion next time. I am in your hands and in the hands of the House.

सभापति महोदय : इस विषय के लिए पहले से दो घंटे आबंटित थे, जो ५ बजकर ५४ मिनट पर पूरे हो रहे हैं। सदन की सहमति हो तो एक घंटा और बढ़ा दिया जाए और छः बजे के बाद आने वाले शुक्रवार को इसे लिया जाए।

कुछ माननीय सदस्यः सहमति है।

सभापति महोदयः ठीक है।

">SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Mr. Chairman, Sir, I support the Resolution moved by Dr. Laxminarayan Pandey. This is a national as well as an international issue. From our experience in Kerala State, I can tell you that this problem would not be solved by mere legislation. Legislation will not be the last word. I would submit that in Kerala we had passed a legislation in this regard by fixing the land ceiling and that was as early as 1960. As per that Act, in the Corporation area Three cents were allotted, in the Municipality area Five c">ents were given and in Gram Panchayat area it was 10 cents.

The lands were distributed. Then, even a scheme was launched by the late Shri M.N. Govindan Nair which was called a `Lakh Houses Scheme' by which the Government also took the initiative. When the scheme was evolved the people were allotted one lakh houses. What was the result? The result was that we did not find many of the dwellers there. They left the place. What was the reason for that. It was because the land prices had increased subsequently. So, they sold that Three cents of land in the Corporation area for about Rs.10 or Rs.12 lakh and left the place.

Sir, now we are facing a very serious situation. So, the question is not of having a legislation, but we should have the political will and the social will to solve this problem. We are now celebrating the Golden Jubilee of our Independence. Even today, half of the population of our country is without shelter. Somebody had suggested that it can be included or enshrined in the Constitution as a fundamental right. Even that will not solve this problem. So, we must have the political will.

I would ask all the political parties and particularly those who were in power at the Centre as to what did they do in this matter. Of course, there were certain schemes. But apart from that nothing was done to solve this social problem which is prevailing throughout India. There were difficulties in land legislation and there were other difficulties with regard to land ceiling. Now, the Urban Land Ceiling Act has been repealed. What is the purpose? Is it to ruin the poor? No land was distributed to the poor people. The slum area people did not get any house and did not get any allotment of land. The entire land was allotted to the rich people.

That was the purpose behind the abolition of the Urban Land Ceiling Act. No Government was sincere in this matter and no Government had made any serious attempts to solve this problem. Nothing was done to solve this problem of providing shelter to the poor. Now, we are at the crossroads.

The United Nations had taken up this issue and they had fixed up a date. We will be the poorest country in the world because half of our population will be without any shelter. In spite of the fact that we were in power for over a half century, we could not solve this problem.

In other words, it is a human rights problem also. Every human being in the world is entitled to have a shelter. That is the primary concern of every individual. After air and other things, the most important thing is the shelter. Can we provide it? We always boast about many schemes. We have introduced Indira Awas Yojana, Lakh Houses Scheme and so many other schemes, but we could not achieve anything in this case. The poor man will have to live on the streets. He has no dwelling area and, therefore, he is always on the streets.

If you go to Kerala, you will find that millions of people live in the coastal areas without any shelter. Recently, there was a Supreme Court ruling saying that no house should be built within an area of 500 yards, and thereby these people, for years together, will not be able to construct any house. Nobody will be permitted to construct a house because of this 500 yards limit. What will happen to the poor fisherman? From Mumbai to Cape Comorin, they are dwelling on the seashore. They will not go anywhere else because their primary income is from fishing. Can we ask these people to shift their place of residence to an interior place? Then, what will be their source of income? Lakhs of people will be put to starvation. Until and unless this law is changed, they cannot be given any shelter by any Government.

So, I would ask my learned friend, the hon. Minister, to take this fact into consideration. This 500 yards limit must be changed to at least 50 yards. Of course, I do not stand in the way of environmental protection and all that. Let it be there. But the primary concern of the man is to have shelter. Can we provide shelter to these

people without changing the law? You know it better than me. As a lawyer, I had my own experience. I submit that this law should be changed so that we will be able to give this poor fisherman a shelter.

We can boast of many things and we have been boasting. That is the only remedy for us, and nothing has been done in this case. So, I earnestly and strongly support this Resolution with a sincere purpose and not for any political reasons or political gains. I hope that the Minister will not compel the mover of this Resolution to withdraw it. The Minister is also in the know of things. So, I would appeal that we, all of us together, should find a solution to this human problem which is there for ages together. Let us solve this issue.

I know that it is a herculian task, but this could be solved by putting sincere efforts. It is a matter to be seen as to whether that earnest effort will emerge or not. Whenever this issue has been discussed, a partisan approach has always emerged. But that should not be the case. So, I would appeal to the Minister that immediate steps should be taken not only to save the millions of shelterless people but also to save our national pride.

With these words, I support this Resolution. I hope that the hon. Minister would take immediate steps to solve this human problem.

(ends)

">

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय आवास नीति पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और डा. लक्षमी नारायण पान्डेय जी ने जो सदन में प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव के साथ मैं अपने आपको सम्बद्ध करते हुए, अपने विचार रखना चाहता हूं।

महोदय, आज पूरे हिन्दुस्तान में रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या विद्यमान है। रोटी तो आदमी किसी तरह से खा लेता है और कपड़े न भी हों, तो चल जाता है, लेकिन मकान की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है। इस प्रस्ताव में निर्धन लोगों को मकान देने की बात कही गई है। आज हम अपने हृदय से पूछें, तो हिन्दुस्तान में लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो मकान से वंचित हैं। मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता हूं। हमारे बहुत से माननीय संसद सदस्यों ने इस बारे में अपने विचार रखे हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आया हूं और अन्य माननीय सदस्यों के संसद क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। उन क्षेत्रों के विकास के इंदिरा आवास योजना है, निर्बल आवास योजना है और मलीन बस्तियों को बसाने की बात है, लेकिन गडबड़ी और घपलेबाजी के चलते ये सारी योजनायें फलीभूत नहीं हो पाती हैं। आप इंदिरा आवास योजना को ही ले लीजिए। माननीय सदस्यों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में बात कही है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कहता हूं। ऐसे बहुत से आवास बने पड़े हैं, जिन के लिए ऋण की व्यवस्था तो की गई और दीवारें भी खड़ी है, लेकिन छत नहीं पड़ी है। वास्तव में देखा जाए, तो रोटी-कपड़ा और मकान की बात कह दी जाती है, गरीबी दूर करने की बात कही जाती है, लेकिन काम नहीं होता है। आज भी आप देखें, देहातों में ऐसे बहुत से दलित समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिन्हें मकानों के लिए भूमि आबंटित की जाती है और आवास दे दिए गए हैं, लेकिन उनका परिवार बढ़ गया है। एक विस्वा या दो विस्वा या इससे भी कम आवंटन हुआ है और परिवार इतना बढ़ गया है कि एक ही कमरे में बच्चे सोते हैं, मां-बाप सोते हैं, बूढ़े मां-बाप सोते हैं, लड़के सोते हैं और बहुयें रहती हैं। एक ही कमरे में किस प्रकार से गुजारा होता है, यह एक विकराल समस्या है।

महोदय, आज गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। सरकार के पास रैन-बसेरा योजना थी। यह योजना उन लोगों के लिए थी, जो गांव से शहर में आकर व्यवसाय करने का काम करेंगे, रिक्शा खींचने का काम करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, जो १५-१५, २०-२० दिन शहरों में आकर काम करते हैं। ऐसे लोगों की स्थिति को देखा जाए, तो आप पायेंगे कि वे खुले आकाश में सोते हैं या पुलों के नीचे या पटरियों पर सोते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह रैन-बसेरा बनाये, जहां पर हमारे ये मजदूर या रिक्शा खींचने वाले मजदूर, तमाम ऐसे गरीब लोग जो देहातों से शहरों की ओर आते हैं, उनको रैन बसेरा में बसाया जा सके।

इसी प्रकार से आवास विकास प्राधिकरण, हुडा या हुडको, द्वारा स्पेशन कम्पोनेंट प्लान के अन्दर मकानों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। मैं आपका ध्यान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर इनके द्वारा ऐसे-ऐसे मकान बनाए जा रहे हैं, जो १०-१५ सालों से तो खड़े हैं, लेकिन उनके दरवाजे और खिड़कियां चोरी हो गए हैं। इस वजह से वे बेकार पड़े हुए हैं। इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जो लोग खुले आकाश में रहते हैं, उनको मकान की सुविधा दी जा सके और वे अपना जीवन-यापन कर सकें।

18.00 hrs.

श्मान्यवर, हम बहुत से मकानों के नक्शे बनाते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई से, किसी प्रकार से थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठे करके मकान बनाते हैं। बहुत से मकान ऐसे बनाते हैं जिनके नक्शे पास होते हैं और बहुत से ऐसे बनाते हैं जिनके नक्शे पास नहीं होते है । अब हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आती है।

महोदय, मैं इलाहाबाद की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज उत्तर प्रदेश में ठअतिक्रमण हटाओ' के नाम पर बिलकुल कहर ढहाया रहा है। गरीब आदमी ने न जाने कैसे मकान बनाया है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि एनक्रोचमेंट है लेकिन उसका एक तरीका है। अगर हम लोगो को मकान रहने के लिए नहीं दे पा रहे हैं, रोटी-कपड़ा नहीं दे पा रहे हैं तो उनके मकानों को उजाड़ने का काम भी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जो लोग गांवों में २५-५० वर्षों से रह रहे हैं, आपके पास भी कभी-कभी शिकायतें आती होगी, आप जानते हैं

कि बहुत से ऐसे दबंग लोग होते हैं जो दूसरों के मकानों पर जबरिया कब्जा करते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं। इसलिए उन लोगों को कम से कम ऐसे अधिकार दिए जाएं कि जो अनेक वर्षों से किसी मकान में रह रहे हैं उनका उस पर पूरा कब्जा होना चाहिए।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत से आवास शहरों में ऐसे बने हैं जहां केवल दो-तीन कमरे हैं, बरामदें हैं लेकिन वहां बहुत सी जमीन फालतू पड़ी हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी जमीनों का अधिग्रहण किया जाए और फ्लैट सिस्टम बनाया जाए ताकि कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा आवास बन सकें।

महोदय, आज पूरे भारतवर्ष में आप देखें, नालों के, गंगा के किनारे, रेलवे लाईन के किनारे या समुद्र के किनारे अनेकों लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में रह कर बेचारे अ पना गुजर-बसर करते हैं। इसके अलावा जो गरीबों को मकान आबंटित किए जाते हैं उनके मरम्मत की कोई योजना नहीं है- एक बार बना कर दे दिये तो कुछ समय बाद इतनी जर्जर हालत उनकी हो जाती है, जिसमे रहना मुश्किल हो जाता है फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए राष्ट्रीय आवास नीति समानता से बने, चाहे अमीर हो, गरीब हो या मध्यम बर्ग के लोग हों, सब के लिए समान कानून बने और जो हमारे गरीब आज खुले आकाश में रहते हैं उनके लिए मकान की व्यवस्था हो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : माननीय सदस्यगण, नियम १९३ के आधीन जो किसानों की आत्महत्या से संबंधित विषय पर बहस चल रही थी, उस ि वषय में माननीय सदस्यों की रूचि और भावना को देखते हुए कल भी एक बजे से यह बहस जारी रहेगी। कल भोजनावकाश नहीं होगा। अब सदन की कार्यवाही कल दिनांक तीन जून ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.04 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

Wednesday, June 3, 1998/Jyaistha 13, 1920 (Saka)